



गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जीए/सीए-1/लेखा/NEIA Trust/2020-21/189

सेवा में,

17/12/2021

The Managing Trustee,
N.E.I.A Trust
C/o ECGC of India Limited,
Express Towers,
10th Floor, Nariman Point,
Mumbai – 400 021.


विषय: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु N.E.I.A Trust के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र।

महोदय,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु N.E.I.A Trust के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ सत्य है।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,



पी.वी. हरि कृष्णा

(पी.वी. हरि कृष्णा)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग), मुंबई

संलग्न: यथोपरि।



AUDIT CERTIFICATE

I have audited the attached Balance Sheet of N.E.I.A TRUST as at 31 March 2021 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date. Preparation of these financial statements is the responsibility of the management of N.E.I.A TRUST. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and the auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

Based on our audit, I report that:

1. I have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
2. I report that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.
3. In my opinion and to the best of my information and according to the explanations given to me:
 - (i) the accounts give the information required under the prescribed format of accounts;
 - (ii) the said Balance Sheet, Income and Expenditure Account read together with the Accounting Policies and Notes thereon give a true and fair view.
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the N.E.I.A TRUST as at 31 March 2021 and
 - b. In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

P. V. Hari Krishna

(P V Hari Krishna)

Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai.

Date: 17.12.2021



बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की उप धारा (2) की धारा 33 व 34 एवं नियम 19 के अधीन लेखा परीक्षित लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

पंजीकरण सं . E-23382 (मुंबई)

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम : एन ई आई ए ट्रस्ट

वर्ष : 31st March, 2021.

क)	क्या लेखों का रखरखाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है;	हाँ
ख)	क्या प्राप्तियों एवं वितरणों को सही एवं उचित रूप से लेखों में दर्शाया जा रहा है;	हाँ
ग)	क्या लेखा परीक्षा के दिन प्रबन्धक अथवा न्यासी के पास उपलब्ध नकद शेष एवं वाउचर लेखों से मेल खा रहे थे ;	हाँ
घ)	क्या लेखापरीक्षक द्वारा अपेक्षित सभी पुस्तकें, विलेख, लेखा, वाउचर अथवा अन्य दस्तावेज अथवा अभिलेख उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे;	हाँ
ङ)	क्या चल एवं अचल संपत्तियों के लिए रजिस्टर रखा गया है एवं उसमें होने वाले संशोधनों के विषय में समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाता रहा है, एवं क्या पिछली लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों और अशुद्धियों का विधिवत अनुपालन किया गया है;	कोई अचल संपत्ति नहीं है
च)	क्या लेखापरीक्षक द्वारा , प्रबंधक अथवा न्यासी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से , उसके समक्ष उपस्थित होना अपेक्षित था एवं संबंधित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की अपेक्षा पूर्ण की गयी थी एवं लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गयी;	हाँ
छ)	क्या ट्रस्ट की कोई संपत्ति अथवा निधि का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों के व्यतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया था;	नहीं
ज)	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया राशि एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि, यदि कोई हो;	कुछ नहीं
झ)	क्या 5000/- रु से अधिक के मरम्मत अथवा निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं	लागू नहीं
ञ)	क्या लोक न्यास की किसी राशि का धारा 35 के प्रावधानों के विपरीत कहीं अन्यत्र निवेश किया गया है;	नहीं
ट)	धारा 36 में उल्लिखित प्रावधानों के विपरीत किसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, यदि कोई हो, किया गया है जो लेखापरीक्षक के संज्ञान में आया हो;	कुछ नहीं



ठ)	अनियमित, अवैध अथवा अनुचित व्यय अथवा सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित धन अथवा कोई अन्य संपत्ति की वसूली में विफलता अथवा चूक अथवा धन अथवा अन्य संपत्ति की हानि अथवा क्षति के सभी मामले, एवं क्या इस प्रकार के व्यय, विफलता, चूक, हानि अथवा क्षति, ट्रस्ट के प्रबंधन हेतु नियुक्त ट्रस्टियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से विश्वास के उल्लंघन अथवा दुराचार अथवा किसी अन्य कदाचार के परिणाम स्वरूप हुआ है;	कुछ नहीं
ड)	क्या नियम 16ए के जरिये उपलब्ध कराए गए फॉर्म में बजट की प्रस्तुति की गयी है;	नहीं
ढ)	क्या न्यासियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या को बनाए रखा जाता है;	हाँ
ण)	क्या इस तरह के साधन में उल्लिखित अनुसार बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं;	हाँ
त)	क्या बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त पुस्तकों का उचित रखरखाव किया जाता है;	हाँ
थ)	क्या न्यासियों में से किसी न्यासी का न्यास के निवेश में कोई हित निहित है;	नहीं
द)	क्या कोई न्यासी, न्यास का ऋणी उधारकर्ता अथवा लेनदार है;	नहीं
ध)	क्या पिछले वर्ष के लेखाओं में लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित अनियमितताओं का वर्तमान लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान न्यासियों द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है;	प्रक्रिया जारी है
न)	कोई अन्य विशेष मामला जिसे लेखापरीक्षक को उप अथवा सहायक चैरिटी आयुक्त के ध्यान में लाना उचित अथवा आवश्यक लगे;	कुछ नहीं

कृते एल एन मारु एंड कं
सनदी लेखाकर
फार्म पंजीकरण सं.: 106069W

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारु
भागीदार

सदस्यता सं. :- 033246

स्थान : मुंबई

दिनांक :- 29-09-2021

यूडीआईएन: 21033246AAAABC3863





L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

Report of an auditor relating to accounts audited under sub-section (2) of section 33 & 34 and rule 19 of the Bombay Public Trusts Act.

Registration No. E-23382 (MUMBAI)

Name of the Public Trust: NEIA TRUST

For the year ended: 31st March, 2021.

(a)	Whether accounts are maintained regularly and in accordance with the provisions of the Act and the rules;	YES
(b)	Whether receipts and disbursements are properly and correctly shown in the accounts;	YES
(c)	Whether the cash balance and vouchers in the custody of the manager or trustee on the date of audit were in agreement with the accounts;	YES
(d)	Whether all books, deeds, accounts, vouchers or other documents or records required by the auditor were produced before him;	YES
(e)	Whether a register of movable and immovable properties is properly maintained, the changes therein are communicated from time to time to the regional office, and the defects and inaccuracies mentioned in the previous audit report have been duly complied with;	THERE ARE NO FIXED ASSETS.
(f)	Whether the manager or trustee or any other person required by the auditor to appear before him did so and furnished the necessary information required by him;	YES
(g)	Whether any property or funds of the Trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the Trust;	NO
(h)	The amounts of outstanding for more than one year and the amounts written off, if any;	NIL
(i)	Whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 5000/-;	NA
(j)	Whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Section 35;	NO
(k)	Alienations, if any, of the immovable property contrary to the provisions of Section 36 which have come to the notice of the auditor;	NIL
(l)	All cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover monies or other property belonging to the public trust or loss or waste of money or other property thereof, and whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustees or any other person while in the management of the trust;	NIL
(m)	Whether the budget has been filed in the form provided by rule 16A;	NO
(n)	Whether the maximum and minimum number of the trustees is maintained;	YES
(o)	Whether the meetings are held regularly as provided in such instrument;	YES
(p)	Whether the minute books of the proceedings of the meeting is maintained;	YES
(q)	Whether any of the trustees has any interest in the investment of the trust;	NO
(r)	Whether any of the trustees is a debtor or creditor of the trust;	NO



(s)	Whether the irregularities pointed out by the auditors in the accounts of the previous year have been duly complied with by the trustees during the period of audit;	Being attended to
(t)	Any special matter which the auditors may think fit or necessary to bring to the notice of the Deputy or Assistant Charity Commissioner;	NIL

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 106069W



CA L N Maru
Partner
Membership No.: - 033246

Place:- Mumbai
Date:- 29-09-2021

UDIN: 21033246AAAABC3863



एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 29 सितंबर 2021 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के आय के संचय को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प ।

विषय : ट्रस्ट के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाँच वर्षों की अवधि यथा मार्च 2026 तक के लिए ट्रस्ट के आय का संचय एवं निर्धारण

संकल्प

“संकल्प किया गया कि एन ई आई ए ट्रस्ट (ट्रस्ट) की आय से निम्नलिखित उद्देश्य से 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए रू. 0/- (रू. शून्य) की राशि का संचय कर दिनांक 31.03.2026 तक अलग रखा जाये:

1. राष्ट्रीय हित वाले मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यातकों की सुविधा के लिए एन ई आई ए योजना को कार्यान्वित करना।
2. समय समय पर भारत सरकार द्वारा मध्यम एवं दीर्घ अवधि के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।
3. समय समय पर भारत सरकार द्वारा अपल्पावधि के निर्यातकों के लिए निर्मित एवं ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित योजनाओं एवं इस प्रकार की अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन।

“आगे संकल्प किया गया कि उक्त अनुसार संचित एवं अलग रखे गए आय को आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अधीन निर्धारित अनुसूचित बैंकों में मियादी जमाओं में निवेश किया जाएगा।”

श्री सुनील जोशी, प्रबन्धक न्यासी

हस्ताक्षरित
.....

श्री एम सैथिलनाथन, न्यासी

हस्ताक्षरित
.....

श्रीमती हर्षा बंगारी, न्यासी

हस्ताक्षरित
.....

NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि., (भारत सरकार का उद्यम) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited “formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; www.ecgcindia.com



एन ई आई ए ट्रस्ट
N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई. 23382(मुंबई) दि. 8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd. 8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of Accumulation of income of the NEIA Trust for the FY 2020-21 by the Board of Trustees on 29th September 2021

Subject: Accumulation and setting of income of the Trust for a period of five years, i.e. upto March, 2026 for utilization towards the specified objects of the Trust.

Resolution:

“RESOLVED THAT a sum of Rs. 0/- (Rupees Nil only) to be accumulated and set apart upto 31/03/2026 out of the income of the NEIA Trust (“The Trust”) for the year ended 31st March 2021 for the following purpose:


1. To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long term Exporters in National Interest.
2. To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
3. To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.

“RESOLVED FURTHER THAT the income accumulated and set apart as above shall be kept invested in the Fixed Deposits with the Scheduled Banks specified u/s 11(2) of the Income Tax Act, 1961.”

Shri Sunil Joshi, Managing Trustee

Shri M. Senthilnathan, Trustee

Smt. Harsha Bangari, Trustee





NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी. लि., (भारत सरकार का उद्यम) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited “formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited” (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax: 022-66590517/522; www.ecgcindia.com



एन ई आई ए ट्रस्ट N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

दिनांक 29 सितंबर 2021 को ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के वार्षिक लेखों को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा जारी संकल्प।

संकल्प:

“संकल्प किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट के लिए वार्षिक लेखों में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों एवं 31 मार्च 2021 तक के तुलन पत्र को एतद्वारा ट्रस्टियों के मण्डल द्वारा अपनाया गया।”

श्री सुनील जोशी , प्रबन्धक ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

.....

श्री एम सेंथिलनाथन , ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

.....

श्रीमती हर्षा बंगारी, न्यासी

हस्ताक्षरित

.....



NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी लि., (भारत सरकार का उद्यम) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited "formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited" (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522: www.ecgcindia.com

एन ई आई ए ट्रस्ट

N.E.I.A TRUST

पंजीकरण : ई.23382(मुंबई) दि.8.5.06
Regn. No. E. 23382 (Mumbai) dtd.8.5.06

Resolution by circulation for the adoption of annual accounts of NEIA Trust for the FY 2020-21, by the Board Of Trustees on 29th September 2021


Resolution:

“RESOLVED THAT the annual accounts of the NEIA Trust for the year ended 31st March 2021 consisting of income & Expenditure Accounts for the period ended 31st March 2021 and Balance Sheet as on 31st March 2021, be and hereby adopted by the Board Of Trustees.”

Shri Sunil Joshi, Managing Trustee



Shri M. Senthilnathan, Trustee



Smt. Harsha Bangari, Trustee



NEIA Trust C/O ई.सी.जी.सी.लि., (भारत सरकार का उद्यम) - पंजीकृत कार्यालय : एक्सप्रेस टॉवर्स, 10 वी मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई-400 021.

Regd. Office: C/o ECGC Limited "formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited" (A Govt. of India Enterprise), Express Towers, 10th floor, Nariman Point, Mumbai-400 021. फोन/ Tel: 022-66590500-09, फैक्स/Fax:022-66590517/522; www.ecgcindia.com

अनुसूची - VIII
विभाग 17 (I) (क)

पंजीकरण सं. : E 23382

संवैधानिक दफ्तर का नाम: एनएसएच ट्रस्ट
दिनांक: 31/03/2021 तक का तुलनात्मक

विवरण एवं विवरण	राशि रु में	राशि रु में	राशि एवं आशिया	राशि रु में	राशि रु में
<p>ट्रस्ट की निधि अथवा कोष पिछले तुलनात्मक वर्ष के अनुसार शेष जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्त आय का योग निधि</p> <p>अन्य विनिर्मित निधियाँ :- (ट्रस्ट के प्रथम, सहायक अथवा अन्य आर के अंतर्गत निर्मित)</p> <p>निधि का संचालन क्रय कोष निधि प्रारंभिक निधि कोई अन्य निधि - विशेष प्रावधान निधि</p> <p>जमा (सुरक्षित एवं अनुसूचित) न्यायिकों की ओर से अन्य की ओर से</p> <p>देवताएं बनती हैं। लोक-न्याय प्रणाली कोष को देन अदाकरण सार्वजनिक वनों हेतु प्रावधान आदिमां हेतु ईशानजी की ओर से माटी शुल्क अन्य की ओर से माटी शुल्क प्राप्त पट्टी अनुसूचित अंतर्गत माटी शुल्क अधीनस्थ माटी शुल्क की वापसी हेतु प्रथम विद्यार्थी एवं अन्य व्यक्तियों हेतु विविध जमा शेष हेतु देन अदाकरण कर कटौती विविध लेखा ईशानजी को देन</p> <p>अनुसूचित नियोक्तों हेतु प्रावधान निधि</p> <p>आय एवं व्यय खाता पिछले तुलनात्मक वर्ष के अनुसार शेष जोड़े : निधि, यदि कोई हो तो</p> <p>जोड़े, आय एवं व्यय खाते के अनुसार अधिव्यय (घट)</p>	<p>30,91,00,00,000</p> <p>-</p> <p>57,10,25,778 7,44,20,13,042</p> <p>7,39,08,726 3,62,28,76,188</p> <p>22,04,318 1,16,200 3,13,34,331</p> <p>2,66,21,25,027</p> <p>(3,03,62,16,426)</p>	<p>30,91,00,00,000</p> <p>12,23,19,34,577</p> <p>11,74,34,78,584</p> <p>(37,40,91,399)</p>	<p>अवकाश संविधि पिछले तुलनात्मक वर्ष के अनुसार शेष वर्ष के दौरान योगदान जोड़े : वर्ष के दौरान निधि अनुसूचित नियोक्तों</p> <p>विशेष : फर्निचर एवं फिक्स्चर- पिछले तुलनात्मक वर्ष के अनुसार शेष वर्ष के दौरान योगदान जोड़े : वर्ष के दौरान निधि अनुसूचित नियोक्तों</p> <p>जमा (सुरक्षित एवं अनुसूचित) : (शोध एवं अतिसंरक्षण) कृषि धारणा अन्य जमा</p> <p>अंतिम :- न्यायिकों को कर्मियों को शोधार्थी को वरिष्ठों को अन्य को पूर्व प्रदाता कर अधिव्यय का मुआवजा पूर्व प्रदाता व्यय</p> <p>वकाया आय विभाग ब्याज अन्य आय</p> <p>सकल पूंजी शेष (क) कोषीयता बैंक के पास धारित खाते में विविध बैंकों के पास निष्पत्ती जमा (ख) न्यायिकों के पास (ग) प्रत्यक्ष के पास</p>	<p>6,88,08,56,078</p> <p>1,36,98,97,964</p> <p>1,50,67,720</p> <p>46,24,55,00,000</p>	<p>54,51,13,21,762</p> <p>54,51,13,21,762</p>
कुल योग			कुल योग		54,51,13,21,762

अंक तुलनात्मक वर्ष में इनारे संशोधन विवरण के अनुसार, नै निर्मित एवं देवताओं एवं ट्रस्ट की संपत्ति का उचित विवरण अलग है।

कुले पत्र ई आई ए ट्रस्ट

इसकी सार सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसार
 कुले पत्र एवं माहक एंड कंपनी
 सहायक लेखा
 सर्व अधिकार अ 106069W

हस्ताक्षरित

(संज्ञित नियोक्ता)
 प्रबन्धक न्यासी

हस्ताक्षरित

(एन सीएसएमए)
 न्यासी

हस्ताक्षरित

(एन सीएसएमए)
 न्यासी

हस्ताक्षरित

(एन एन माहक)
 प्रबन्धक - M. No. 033246



दिनांक : 29/09/2021
 स्थान : मुंबई

SCHEDULE - VIII
Trade Rule 17 (11)

Registration No. : E 23382

Name of the Public Trust: NEIA Trust
Balance Sheet As At: 31/03/2021

FUNDS & LIABILITIES	Amounts in Rs	Amounts in Rs	PROPERTY & ASSETS	Amounts in Rs	Amounts in Rs
Trusts Funds or Corpus :- Balance as per last Balance Sheet Add: Refundable fund received during the year	30,91,00,00,000	30,91,00,00,000	Immovable Properties :- Balance as per last Balance Sheet Additions during the year Less : Sales during the year Depreciation up to date		
Other Earmarked Funds :- (Created under the provisions of the trust deed or scheme or out of the Income) Depreciation Fund Sinking Fund Reserve Fund Any Other Fund- Special Reserve		12,23,19,34,577	Investments :- Furniture & Fixtures :- Balance as per last Balance Sheet Additions during the year Less : Sales during the year Depreciation up to date		
Loans (Secured or Unsecured) :- From Trustees From Others			Loans (Secured or Unsecured) : Good/doubtful Loans Scholarships Other Loans		
Liabilities :- For Expenses Contribution Due to Public Trust Administration Fund Provision for Pending Claim For Advances Guarantee Fees from ECGC Guarantee Fees from Others Guarantee Fees received in advance but not allocated Provision for refund of Excess Guarantee Fee For Rent & Other Deposits For Sundry Credit Balances TDS Payable Sundry Creditors Payable to ECGC	57,10,25,778 7,44,20,13,042 7,39,08,726 3,62,28,76,188 22,04,318 1,16,200 3,13,34,331		Advances :- To Trustees To Employees To Contractors To Lawyers To Others Prepaid Taxes Advance Tax payment Prepaid expenses	2,14,60,16,831 4,55,00,00,000 18,48,39,247	6,88,08,56,078
Reserve for Unexpired Risks		11,74,34,78,584	Income Outstanding :- Rent Interest Other Income		1,36,98,97,964
Income and Expenditure Account :- Balance as per last Balance Sheet Less : Appropriation, if any Add : Surplus (Deficit) as per Income and Expenditure Account	2,66,21,25,027 (3,03,62,16,426)		Cash and Bank Balances :- (a) In Current Account with Corporation Bank In Fixed Deposit Account with various banks (b) With the Trustee (c) With the Manager		1,50,67,720 46,24,55,00,000
Total		54,51,13,21,762	Total		54,51,13,21,762

The above Balance Sheet to the best of our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Assets of the Trust.

For NEIA TRUST

(Signature)
(Sunil Joshi)
Managing Trustee

(M. Senthilnathan)
Trustee

Date: 29/09/2021

Place: MUMBAI

(Signature)
(Harsha Bangori)
Trustee

As per our report of even date,
FOR L N MARU & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 106069W

(Signature)
L N Maru
Partner - M. No. 033246



अनुसूची - IX
[नियम 17 (1) देखें]

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम: एनईआईए ट्रस्ट
दिनांक 31/03/2021 तक का तुलन पत्र

पंजीकरण सं . : E 23382

व्यय	राशि रु में	राशि रु में	आय	राशि रु में	राशि रु में
सम्पत्तियों के संबंध में व्यय कर, दर एवं उपकार मरम्मत एवं रखरखाव वेतन बीमा मूल्यहास अन्य व्यय			किराये द्वारा उपचित वसूल		
स्थापना व्यय से संबंधित न्यासियों हेतु पारिश्रमिक से संबंधित पारिश्रमिक हेतु (गणना के मामले में) परामर्श प्रभार प्रशासनिक व्यय हेतु प्रशासनिक प्रभार लोक न्यास प्रशासन कोष में अंशदान	3,18,05,582 9,01,52,890	30,69,796 12,19,58,472	व्याज द्वारा उपचित सावधि जमा वसूल सावधि जमा सावधि जमा पर कर कटौती आय कर वापसी	1,36,98,97,964 80,91,56,575 17,85,19,175 1,02,22,49,813	3,37,98,23,527
विधिक व्यय हेतु लंबित दावों हेतु प्रावधान के लिए लेखा परीक्षा शुल्क हेतु बैंक प्रभार अंशदान एवं शुल्क हेतु बट्टे खाते में डाली गयी राशि हेतु अशोध्य ऋण ऋण छात्रवृत्तियाँ अपरिवर्तनीय ऋण अन्य मदें		3,12,263 7,44,20,13,042 82,600 507	ऋणों पर बैंक खाते पर लाभान्श पर नकद अथवा वस्तु के रूप में दान द्वारा अनुदान द्वारा अन्य स्रोत से आय द्वारा (यथा संभव विवरण दर्शाएँ) प्रारक्षित निधि से अंतरण द्वारा		
विविध व्यय हेतु मूल्यहास हेतु आरक्षित अथवा विशिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि हेतु			प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा ईसीजीसी अन्य दावा वसूली द्वारा दावों हेतु प्रावधानों के विपर्यय द्वारा	4,58,20,009 48,48,87,575	53,07,07,584
<u>ट्रस्ट के उद्देश्य पर व्यय हेतु :-</u> धार्मिक शैक्षणिक चिकित्सकीय राहत गरीबी राहत अन्य चैरिटेबल उद्देश्य			तुलन पत्र में आगे लाया गया घाटा		16,76,26,197 45,30,62,947
कुल योग		7,56,74,36,681	कुल योग		7,56,74,36,681

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन एन मारू एंड कं
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

(सुनील जोशी)
प्रबन्धक न्यासी

हस्ताक्षरित

(एन सैथिलनाथन)
न्यासी

हस्ताक्षरित

(हर्षा बंगारी)
न्यासी

हस्ताक्षरित

(एल एन मारू)
भागीदार - M. No. 033246

दिनांक : 29/09/2021

स्थान : मुंबई




SCHEDULE - IX
[Vide Rule 17 (1)]

Name of the Public Trust : NEIA Trust
Income and Expenditure Account for the year ending 31st March 2021

Registration No. - E 23382

EXPENDITURE	Amounts in Rs	Amounts in Rs	INCOME	Amounts in Rs	Amounts in Rs
To Expenditure in respect of properties :-			By Rent		
Rates, Taxes, Cesses			Accrued		
Repairs and maintenance			Realised		
Salaries					
Insurance			By Interest		
Depreciation			Accrued On		
Other Expenses			Fixed Deposits	1,36,98,97,964	
To Establishment Expenses					
To Remuneration to Trustees			Realised On		
To Remuneration(In the case of a math)		30,69,796	Fixed Deposits	80,91,56,575	
To Consultancy Charges			TDS on Fixed Deposits	17,85,19,175	
To Administrative expenses :			Income Tax Refund	1,02,22,49,813	3,37,98,23,527
Administration Charges	3,18,05,582				
Contribution to Public Trust Administration Fund	9,01,52,890	12,19,58,472	On Loans		
			On Bank account		
To Legal Expenses		3,12,263	By Dividend		
To Provision for pending Claims		7,44,20,13,042	By Donation in Cash or Kind		
To Audit Fees		82,600	By Grants		
To Bank Charges		507	By Income From Other Source (In details as far as possible)		
To Contribution and Fees			By Transfer from Reserve		
To Amount Writen Off-			By Guarantee Fees Received		
Bad Debts			ECGC	4,58,20,009	
Loan Scholarships			Gthers	48,48,87,575	53,07,07,584
Irrecoverable Rents			By Claim Recovery		16,76,26,197
Other Items			By Reversal of Provision for claims		45,30,62,947
To Miscellaneous Expenses					
To Depreciations			To Deficit carried over to Balance Sheet		3,03,62,16,426
To Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds					
To Expenditure on object of the Trust :-					
Religious					
Educational					
Medical Relief					
Relief of poverty					
Other Charitable objects					
TOTAL		7,56,74,36,681	TOTAL		7,56,74,36,681


For NEIA TRUST


(Sunil Joshi)
Managing Trustee


(M. Senthilnathan)
Trustee


(Harsha Bangari)
Trustee

As per our report of even date,
FOR L N MARU & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 106069W



L N Maru
Partner - M. No. 033246

Date: 29/09/2021

Place: MUMBAI



		₹	₹
I	आय को आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया है (अनुसूची IX)		4,53,12,20,254
II	धारा 58 और नियम 32 के अधीन अंशदान के लिए जिन मदों को छूट प्राप्त है		
	(i) अन्य लोक न्यासों एवं चैरिटी से प्राप्त दान		
	(ii) सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त अनुदान		
	(iii) ऋण शोधन अथवा मूल्यहास निधि पर ब्याज		
	(iv) धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य से व्यय की गई राशि		
	(v) चिकित्सा राहत के उद्देश्य से व्यय की गई राशि		
	(vi) पशुओं के पशु चिकित्सा उपचार पर व्यय की गई राशि		
	(vii) अभाव के कारण उत्पन्न समस्या के निवारण के लिए दान द्वारा किया गया व्यय। सूखा, बाढ़, आगजनी अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा		
	(viii) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से अर्जित आय पर कर कटौती -		
	(क) भू-राजस्व एवं स्थानीय निधि उपकर		
	(ख) बेहतर मकान / भूमि मालिक को देय किराया		
	(ग) यदि ट्रस्ट द्वारा भूमि पर खेती की जाती है तो उत्पादन की लागत		
(ix)	गैर कृषि प्रयोजन से उपयोग की जाने वाली भूमि से अर्जित आय पर कर कटौती -		
	(a) मूल्यांकन, उपकर एवं अन्य सरकारी या नगरपालिका कर		
	(b) बेहतर जमींदार को देय भूमि किराया		
	(c) बीमा प्रीमियम		
	(d) भवनों के सकल किराए के 10 प्रतिशत के हिसाब से मरम्मत		
	(e) किराये के भवन के सकल किराए के 4 प्रतिशत के हिसाब से संग्रहण की लागत		
(x)	प्रतिभूतियाँ, स्टॉक आदि से प्राप्त आय या प्राप्त आदि के संग्रह की लागत. इस प्रकार की आय के एक प्रतिशत के हिसाब से ₹ 2,35,75,73,714.20 की आय का 1 %	2,35,75,737	
(xi)	बिना किराये के आय अर्जित करने वाले बिल्डिंगों के मरम्मत के कारण कटौती, अनुमानित सकल वार्षिक किराये के 10 प्रतिशत		2,35,75,737
	अंशदान के लिए प्रभारित सकल आय		4,50,76,44,517
	अंशदान की राशि की गणना धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित दर पर की जाती है एवं अंशदान के लिए सकल वार्षिक आय के 2% प्रभारित होगा।		9,01,52,890

*प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसूचा में उल्लिखित किसी भी मद, जिसमें दोहरी कटाता का प्रभाव दर्शाया गया है, क अंशदान स्वीकार्य कटाता का दावा करत हुए, हमन किसी भी राशि का या तो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दो बार दावा नहीं किया है,

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हमारे सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन एन मारु एंड कं
सन्दी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं 106069W

हस्ताक्षरित

(सुनील जोशी)
प्रबन्धक न्यासी

हस्ताक्षरित

(एम संधिलनाथन)
न्यासी

हस्ताक्षरित

(हर्षा बंगारी)
न्यासी

हस्ताक्षरित

एन एन मारु
भागीदार - M. No. 033246

दिनांक : 29-09-2021

स्थान : मुंबई



SCHEDULE IX - C

Statement of income of the public trust liable to contribution for the year ended 31/03/2021


Name and Registered No of Public Trust : NEIA TRUST


Regn. No.- E 23382


		Rs.	Rs.
I	Income is shown in the Income and Expenditure Account (Schedule IX)		4,53,12,20,254
II	Items not chargeable to contribution under section 58 and rule 32		
	(i) Donations received from other public trust and Dharmads		
	(ii) Grant received from Government and local authorities		
	(iii) Interest on Sinking or Depreciation Fund		
	(iv) Amount spent for the purpose of secular education		
	(v) Amount spent for the purpose of medical relief		
	(vi) Amount spent for the purpose of veterinary treatment of animals		
	(vii) Expenditure incurred from donations for relief of distress caused by scarcity, drought, flood, fire or other natural calamity		
	(viii) Deduction out of income from lands used for agricultural purpose -		
	(a) Land revenue and Local Fund Cess		
	(b) Rent payable to superior landlord		
	(c) Cost of production if lands are cultivated by the trust		
	(ix) Deductions out of income from lands used from non agricultural purpose -		
	(a) Assessment, cesses and other Government or municipal taxes		
	(b) Ground rent payable to the superior landlord		
	(c) Insurance premia		
	(d) Repairs at 10 per cent of gross rent of buildings		
	(e) Cost of collection at 4 per cent of gross rent of building let out		
(x)	Cost of collection of income or receipt from securities, stocks etc. at one percent of such income 1% of Interest Income of Rs. 2,35,75,73,714.20	2,35,75,737	
(xi)	Deductions on account of repairs in respect of buildings not rented and yielding to income, at 10 per cent of the estimated gross annual rent		2,35,75,737
	Gross annual income chargeable to contribution		4,50,76,44,517
	Amount of contribution computed at the rate fixed under the sub-section (1) of section 58 and payable 2% of Gross annual income chargeable to contribution		9,01,52,890

"Certified that while claiming deductions admissible under the above Schedule, we have not claimed any amount twice, either wholly or partly, against any of the items mentioned in the Schedule which have the effect of double deduction."

For NEIA TRUST


(Sunil Joshi)
Managing Trustee


(M. Senthilnathan)
Trustee


(Harsha Bangari)
Trustee



As per our report of even date,
FOR L N MARU & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 106069W
L N Maru
Partner - M. No. 033246

Date : 29/09/2021

Place : MUMBAI



एन ई आई ए ट्रस्ट

31मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

क. पृष्ठ भूमि

1. ट्रस्ट का गठन, राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एवं वांछनीय मध्यम एवं दीर्घकालिक उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं , जिन पर पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं है अथवा जिनकी लागत बहुत अधिक है एवं जो अल्पकालिक निर्यातों हेतु लाभकारी हैं , ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। ट्रस्ट समझौते के अनुसार, ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। तदनुसार, भारत सरकार (भा स) द्वारा संकल्प संख्या 616/2009-ई एंड एमडीए दिनांक 12.2.2009 के जरिये एक मद को इसमें शामिल किया गया था जिसके अनुसार (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) निर्यातकों एवं ईसीजीसी द्वारा बीमांकित कुछ विशिष्ट व्यापारों जैसे कपड़ा, आभूषण आदि के गैर-एमएसएमई निर्यातकों के लिए 5 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जानी होगी (2) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बीमांकित बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा रक्षा (ईसीआईबी) के अधीन संरक्षित बैंकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त रक्षा प्रदान की जानी होगी।
2. एन ई आई ए का सार्वजनिक ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय , ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में दिनांक 8 मई 2006 को 21 मार्च 2006 के ट्रस्ट समझौते एवं दीनानाक 29 मार्च 2006 को संयुक्त सचिव , वाणिज्य विभाग , वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार , के जरिये भारत के राष्ट्रपति एवं ईसीजीसी लिमिटेड के बीच हुए संशोधित ट्रस्ट समझौते के जरिये पंजीकरण किया गया जिसकी पंजीकरण सं ई 23382 है। आगे , योजना आवेदन सं 7/2010 में सहा. आयुक्त, चैरिटेबल ट्रस्ट के आदेश के अनुसार बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 50ए के अधीन अल्पावधि निर्यातों की सुविधा के लिए एक योजना निर्मित की गयी।
3. ट्रस्ट कार्यालय की स्थापना, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबन्धित संरचना सहित आरंभिक स्थापना के सभी लागत का व्यय ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वहन किया गया।



ख. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुकरण में उपचय आधार पर तैयार किए जाते हैं एवं भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के सभी पहलुओं का पूर्ण अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग :

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों , के अनुरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति हेतु , वे अनुमान एवं मान्यताएँ आवश्यक हैं जो रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख के दौरान आस्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशि तथा राजस्व एवं व्ययों की रिपोर्ट की गयी राशि की प्रस्तुति को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच के अंतर को उसी अवधि के दौरान पहचाना जाता है जिस अवधि में परिणाम ज्ञात / घटित होते हैं।

3. राजस्व मान्यता :

आयकर वापसी पर ब्याज को छोड़कर ब्याज एवं अन्य आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है।

4. गारंटी शुल्क (अन्य) की गणना:

सहायता के रूप में , भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्जिम बैंक) एवं अन्य से प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा अवधि के आनुपातिक आधार पर विभाजित किया जाता है।

5. गारंटी शुल्क (ईसीजीसी) की गणना:

वर्ष के दौरान सहायता के रूप में , ईसीजीसी लिमिटेड को प्रदान की गई गारंटी शुल्क को रक्षा की अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है।

6. दावों के कारण उत्पन्न देयता :

वर्ष के अंत तक ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दावों के संबंध में बकाया दावों की देयता की गणना अधिकतम जोखिम ग्राह्यता की सीमा तक की जाती है।

7. कराधान हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुकरण में वर्तमान लेखा अवधि के लिए गणनित कर योग्य लाभ के आधार पर कर का प्रावधान किया जाता है। तथापि, भाग ग के नोट 4 एवं 5 देखें।

8. प्रशासनिक प्रभार

इस ट्रस्ट के संचालन एवं स्थापना लागत एवं इसकी योजना के संचालन संबंधी व्यय का वहन ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसके लिए यह समग्र गारंटी शुल्क के 5% के सेवा प्रभार पाने का हकदार है। ईसीजीसी लिमिटेड को प्रभारित उक्त प्रभार की पहचान रक्षा की अवधि के दौरान की जाती है।



ग. लेखों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ :

1. यह ट्रस्ट , बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के पास पंजीकृत नहीं है। पंजीकरण के संबंध में , ट्रस्ट द्वारा स्पष्टीकरण के लिए आर आर डी ए आई से संपर्क किया गया है, इस संबंध में सूचना प्रतीक्षित है
2. ट्रस्ट द्वारा गारंटी शुल्क की प्राप्ति पर कुछ रक्षाओं के लिए ईसीजीसी लिमिटेड को गारंटी प्रदान की है। इस व्यवस्था संबंध में आई आर डी ए आई को आवश्यक सूचना दे दी गयी है। ट्रस्ट को , वर्ष के दौरान, ईसीजीसी लिमिटेड से गारंटी शुल्क के रूप में रु.1,85,36,999/- की राशि प्राप्त हुई , जिसमें से रु.70,95,768/- चालू वर्ष के लिए है एवं शेष रु.1,14,41,231/- की राशि को गारंटी रक्षा की शेष अवधि के लिए विभाजित किया जाएगा। चालू वर्ष के लिए रु.4,58,20,009/- की कुल गारंटी शुल्क आय है, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त अग्रिम गारंटी शुल्क में से चालू वर्ष के लिए आवंटित रु.3,87,24,241/- की राशि भी शामिल है। इस राशि को आय और व्यय खाते में अलग से दर्शाया गया है।
3. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 की धारा 58 के प्रावधानों के अधीन , ट्रस्टों द्वारा अधिनियम की अनुसूची IXC के अंतर्गत दर्शाई गई आय के 2% के हिसाब से लोक न्यास प्रशासन कोष (पब्लिक ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फंड) में योगदान करना आवश्यक है। एक अन्य ट्रस्ट द्वारा उक्त प्रावधान को चुनौती दी गयी थी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रस्ट के पक्ष में स्टे ऑर्डर जारी किया था। जहां तक एनईआईए ट्रस्ट का संबंध है, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, इसके द्वारा लोक न्यास प्रशासन कोष के लिए देय रु.57,10,25,778/- की राशि का प्रावधान किया गया है (वर्तमान वर्ष के लिए रु.9,01,52,890/- के प्रावधान सहित) एवं जिसके लिए उक्त मामले पर अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण अभी तक कोई योगदान नहीं दिया गया है।
4. क) ट्रस्ट के आयकर मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 तक बिना किसी समायोजन/आय में वृद्धि के पूरा किया गया था। तत्पश्चात, मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 से 2017-18 तक प्रभावी, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11 के अधीन ट्रस्ट द्वारा दावित छूट इस आधार पर प्रदान नहीं की है कि मूल्यांकन वर्ष 2009-2010 से संशोधन पश्चात प्रभावी अधिनियम की धारा 2 (15) में चैरिटी उद्देश्य की परिभाषा बदल गई है अतः ट्रस्ट द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को प्रोत्साहन" के लिए नहीं है। मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए, एओ द्वारा हमारी प्रस्तुति को स्वीकार किया गया है एवं आदेश दिनांक 19.04.2021 के अधीन वापसी हेतु आदेश जारी किया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2019-20 से आगे के लिए, निर्धारण प्रक्रियाधीन है।
ख) ट्रस्ट के इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि वह अत्यंत सावधानी बरतते हुए "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्य के प्रोत्साहन " संबंधी गतिविधियों से जुड़े होने के कारण अधिनियम की 11 धारा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले सुविधा का पात्र है :-



- (i) मूल्यांकन वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान अपीलों के लम्बित रहने के कारण ट्रस्ट द्वारा रु. 138.72 करोड़ (ब्याज सहित) की अदायगी की है। ट्रस्ट द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष विरोध जताते हुए लंबित मूल्यांकन वर्ष 2010-2011 के लिए अधिनियम के 271 (1) (सी) के अधीन 72 करोड़ रु की अदायगी की गयी है।
- (ii) ट्रस्ट द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2012-13 से मूल्यांकन वर्ष 2014-15 के लिए कर एवं उस पर लागू ब्याज की स्व-गणना की एवं उसकी अदायगी की;
- (iii) मूल्यांकन वर्ष 2015-16 से मूल्यांकन वर्ष 2021-22 तक, ट्रस्ट द्वारा प्रासंगिक वर्षों के लिए आय की गणना के आधार पर अग्रिम कर किस्तों की अदायगी की जा रही है।

ग) 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, ट्रस्ट की शुद्ध बकाया मांग रु.7.05 करोड़ (मूल्यांकन वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 के संबंध में क्रमशः 3.16 करोड़, रु.0.02 करोड़ एवं रु.3.88 करोड़) रही। ट्रस्ट द्वारा उसे दी गयी सलाह कि अधिनियम 11 की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट पर " चैरिटी उद्देश्य " की परिभाषा लागू होती है अतः ट्रस्ट द्वारा ऊपर उल्लिखित 7.05 करोड़ रुपये के शुद्ध बकाया मांगों के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 एवं मूल्यांकन वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के संबंध में, आई टी ए टी द्वारा क्रमशः 18.01.2019 तथा 24.12.2019 को एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश सुनाए गए। इसी प्रकार, सीआईटी (ए) द्वारा भी दिनांक 01.03.2019 के आदेश के जरिये मू.व. 2014-15 तथा 2015-16 के संबंध में एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश सुनाया गया, जिसे आईटीएटी द्वारा दिनांक 11.01.2021 के आदेश के जरिये सही ठहराया गया। आईटीएटी द्वारा यह भी पाया गया कि ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट में निहित है। उक्त आदेशों के पश्चात, मूल्यांकन वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एनईआईए ट्रस्ट को 436.82 करोड़ रुपये के आयकर की वापसी प्राप्त हुई है, जिसमें 99.29 करोड़ रुपये के मूलधन पर का ब्याज की अदायगी भी शामिल है। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 से वर्ष-वार आयकर मूल्यांकन की स्थिति निम्नानुसार है:

मूल्यांकन वर्ष	स्थिति
2010-11	आईटीएटी द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.01.2019 एवं 11.09.2019 के जरिये एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश जारी किए गए। उक्त आदेशों के अनुसरण में 11.06.2020 को 139.90 करोड़ रुपये की वापसी प्राप्त हुई थी।
2011-12	आईटीएटी द्वारा अपने दिनांक 24.12.2019 के आदेश के जरिये एनईआईए
2012-13	ट्रस्ट के पक्ष में आदेश जारी किए गए। उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 11.06.2020 को 128.56 करोड़ रुपये एवं 43.30 करोड़ रुपये की वापसी प्राप्त हुई।



2013-14	दिनांक के मूल्यांकन के आदेश दिनांक 28.03.2016 पर दिनांक 14.04.2016 को एलडी सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर किया गया। एलडी सीआईटी (अपील) द्वारा सुनवाई की तारीख के संबंध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए।
2014-15	सीआईटी (अपील) द्वारा दिनांक 01.03.2019 के आदेश के जरिये एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में अपने आदेश जारी किए जिसे आईटीएटी द्वारा दिनांक 11.01.2021 के आदेश के जरिये सही ठहराया गया। आदेश के अनुसार दिनांक 11.06.2020 को 68.13 करोड़ रुपये एवं 56.92 करोड़ रुपये की वापसी राशि प्राप्त हुई।
2015-16	
2016-17	दिनांक 29.10.2020 के पत्र के जरिये एल डी सीआईटी (अपील) - 1 के समक्ष प्रस्तुति की गयी । आदेश प्रतीक्षित है।
2017-18	एलडी सीआईटी (अपील) के समक्ष दिनांक 30.11.2019 के मूल्यांकन के आदेश के विरोध में दिनांक 23.12.2019 को अपील दायर की गयी। एलडी सीआईटी (अपील) द्वारा सुनवाई की तारीख के संबंध में अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ।
2018-19	मूल्यांकन अधिकारी (एओ) द्वारा हमारी प्रस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 19.04.2021 के आदेश द्वारा 120.56 करोड़ रुपये की वापसी का आदेश जारी किए गए हैं। Assessing Officer (AO) has accepted our submission and an order of refund of Rs.120.56 crore has been issued during FY 2021-22 vide order dated 19.04.2021.
2019-20	मूल्यांकनाधीन ।
2020-21	

5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11के प्रावधान के अनुसार , 1,19,19,72,982/- रु का संचयन (वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अगले पाँच वर्षों भीतर उपयोग करने हेतु अलग रखे गए एवं यदि पाँच वर्षों के दौरान उपयोग न किया गया तो छठवें वर्ष से करयोग्य माना जाएगा) को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ट्रस्ट द्वारा जारी कुल रक्षाएं (ट्रस्ट का उद्देश्य में निहित होने के कारण) वर्ष 31.03.2016 तक 9,227.83 करोड़ रु , वर्ष 31.03.2017 तक 17,395.86 करोड़ रु , वर्ष तक 31.03.2018 तक 24,028.94 करोड़ रु , वर्ष 31.03.2019 तक 27,598.34 करोड़ रु , वर्ष 31.03.2020 तक 29,555.28 करोड़ रु एवं वर्ष 31.03.2021 तक 28,090.68 करोड़ रु को ध्यान में रखते हुए न्यासियों की राय में संचित आय का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है एवं अधिनियम की धारा 11(3) के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे अतः उसे वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान संभावित आय नहीं माना गया है।



6. लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में 55,000 रुपये एवं कर लेखा परीक्षा शुल्क के रूप में 15,000 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) शामिल हैं।
7. चालू वर्ष के दौरान 235.76 करोड़ रुपये की ब्याज आय को आय एवं व्यय खाते में उपचित के आधार पर शामिल किया गया है, हालांकि, ट्रेसेस के 26ए एस (TDS सुलह विश्लेषण एक सुधार सक्षम प्रणाली) के अनुसार 234.05 करोड़ रुपये का ब्याज आय परिलक्षित होता है। यह , इस तथ्य के कारणस्वरूप है कि प्रत्येक बैंक द्वारा स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के लिए ब्याज राशि की गणना एवं रिपोर्टिंग के लिए अलग-अलग पद्धति अपनाई जाती है।
8. वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक के वित्तीय विवरण चैरिटी कमिश्नर, बॉम्बे ट्रस्ट के कार्यालय में विधिवत प्रस्तुत किए गए हैं।
9. प्रबंधन द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED) के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के पास उनके पंजीकरण के संबंध में पुष्टि करने हेतु निर्देश दिये गए हैं। हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा अभी तक संबन्धित अधिनियम के अधीन इसके पंजीकरण की पुष्टि नहीं की गयी है। तदनुसार, इस संबंध में कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। लेखापरीक्षकों द्वारा प्रबंधन के उक्त स्पष्टीकरण पर अपना विश्वास जताया गया है।
10. 31 मार्च, 2021 तक रु. 28,567.36 करोड़ की आकस्मिक देयता रही जिसमें लंबित अपीलों के वर्षों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड को 8,649.50 करोड़ रुपये के जोखिम मूल्य रक्षा हेतु भारतीय एक्जिम बैंक को 9,441.18 करोड़ रु के जोखिम मूल्य रक्षा हेतु प्रदत्त गारंटियों एवं 186.39 करोड़ रु की औसत आय कर देयता (मूल्यांकन वर्ष 2013-14, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए क्रमशः 48.54 करोड़ रु 72.39 करोड़ रु एवं 65.46 करोड़ रु) शामिल है। 28,567.36 करोड़ रु की आकस्मिक देयता में रक्षा सं 1421/12 एवं 1422/12 पर 290.29 करोड़ रु की राशि भी शामिल है। एनईआईए के साथ ईसीजीसी द्वारा 75% जोखिम साझा करने के लिए रक्षा सं 1421/12 और 1422/12 जारी किए गए। रक्षा सं 1421/12 और 1422/12 पर दायर दावों को नामंजूर कर दिया गया जिसके कारण तत्पश्चात ईसीजीसी द्वारा रक्षाओं को बंद कर दिया गया। वर्तमान में रक्षा सं 1421/12 और 1422/12 के अधीन दावों के संबंध में मामले न्यायालय में लंबित हैं।

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित
(सुनील जोशी)
न्यासी

हस्ताक्षरित
(एम सेंथिलनाथन)
न्यासी

हस्ताक्षरित
(हर्षा बंगारी)
न्यासी

दिनांक : 29/09/2021

तारीख: मुंबई



NEIA TRUST

FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021

A. BACKGROUND

1. The trust is formed with the objective to ensure the availability of credit risk cover for the medium and long term high value projects which are commercially viable and desirable from the point of view of national interest where reinsurance cover is not available or its cost is very high and also for the benefit of short-term exports. As per the Trust Deed, the trust is also required to follow any other instructions as given by the Government of India from time to time. Accordingly, the Govt. of India (GOI) had vide Resolution No.616/2009-E&MDA dated 12.2.2009 added one more object as per which (1) additional cover of 5 per cent to be provided to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) exporters and also Non-MSME exporters of certain specified trades like Textiles, Jewelry, etc. underwritten by ECGC. (2) Additional cover of 10 per cent to banks who are covered under Export Credit Insurance for Banks (ECIB) underwritten by ECGC of India Ltd.
2. The NEIA trust has been registered as a Public trust with the Public Trusts Registration Office, Greater Mumbai Region, Mumbai on 8th May, 2006 with registration no: - E 23382 vide trust deed dated 21st March, 2006 and modified trust deed dated 29th March, 2006 entered into between The President of India, acting through the Joint Secretary, Dept. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and the ECGC Limited. Further, scheme for benefit for short term export has been settled u/s 50A of the Bombay Public Trust Act, 1950 as per order of Assistant Commissioner of Charitable Trust in Scheme Appl. No 7/2010.
3. All the initial setting up costs including setting up of the trust office, computer hardware and software and other related infrastructure are provided and borne by ECGC Limited.




B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. **Basis of Accounting:** The Financial statements are prepared on accrual basis on historical cost convention and comply in all material aspects with the accounting principles accepted in India.

2. **Use of estimates:**

The presentation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affects the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the reported period. Differences between the actual result and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. **Revenue Recognition:**

Interest and other income is accounted on accrual Basis except for interest on Income tax refund.

4. **Guarantee Fee (Others) Accounting:**

Guarantee fees from Exim Bank of India and others received towards support provided is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

5. **Guarantee Fees (ECGC) Accounting:**

Guarantee fees received during the year towards the support provided to ECGC Limited is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

6. **Liability on account of claims:**

Liability towards outstanding claims at the end of the year is made in respect of the claims provided by ECGC Limited maximum to the extent of exposure.

7. **Provision for Taxation**

Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. However, refer note 4 and 5 of Part C.

8. **Administrative Charges**

The administrative & establishment costs of the trust and cost of administering its scheme is borne by ECGC Limited against which it is entitled for service charges at 5% of the gross guarantee fees. The said charges paid to ECGC Limited are recognized over the period of the covers.

Sy



C. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. The Trust is not registered with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). The Trust has written to the IRDA for seeking clarifications regarding registration but no communication is received by the Trust in these regards.
2. The Trust has given Guarantee to ECGC Limited for a few covers on receipt of Guarantee Fee. This arrangement has been notified to IRDA. During the year, Trust has received Rs.1,85,36,999/- as Guarantee Fee from ECGC Limited out of which Rs.70,95,768/- is for the current year and remaining amount of Rs.1,14,41,231/- is allocated for future years till the validity period of guarantee cover. The total guarantee fee income for the current year is Rs.4,58,20,009/- which includes amount of Rs.3,87,24,241/- allocated for current year out of the advance guarantee fee received during the previous years. This amount has been shown separately in the Income & Expenditure account.
3. Under provisions of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trusts are required to make contribution to Public Trust Administration Fund @ 2% of the Income shown under Schedule IXC of the Act. Another Trust had challenged the said provision and the Hon'ble Supreme Court issued a Stay order in favor of the Trust. In so far as NEIA trust is concerned, as on March 31, 2021 it holds provision amounting to Rs.57,10,25,778/- payable to the Public Trust Administration Fund (including current year provision Rs.9,01,52,890/-) and towards which no contribution is yet made pending final judgment on the said matter.
4. a) Income tax assessments of the Trust were completed up to assessment year 2009-2010 without any adjustment / additions to the income. Thereafter, effective from assessment year 2010-2011 to 2017-18, the income tax department has not granted exemption claimed by the Trust under Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act) on the ground that post-amendment of section 2(15) of the Act effective from assessment year 2009-2010, the definition of charitable purpose has changed and hence, the activity carried on by it, is not for "advancement of any other object of general public utility". For assessment year 2018-19, AO has accepted our submission and has issued an order for refund vide order dated 19.04.2021. For assessment year 2019-20 onwards, assessment is under process.

J



b) Without prejudice to the contention of the Trust, that it is eligible for benefit u/s. 11 of the Act as the same is engaged in the “advancement of the objects of general public utility”, as a matter of abundant caution:

- (i) During the pendency of the appeals for assessment years 2012-13 to 2014-15, the Trust had paid Rs. 138.72 Crores (including interest). The Trust under protest had also paid penalty u/s. 271(1)(c) of the Act of Rs.72 Crores in respect of assessment year 2010-2011 pending the appeal before the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT);
- (ii) It had self-computed the tax plus interest thereon for assessment year 2012-13 to assessment year 2014-15 and paid the same;
- (iii) Effective from assessment year 2015-16 to assessment year 2021-22, the Trust has been paying the advance tax installments based on the computation of income for the relevant years.

c) As on 31.03.2021, the Trust has net outstanding demands of Rs.7.05 crore (Rs.3.16 crore, Rs.0.02 crore & Rs.3.88 crore in respect of AY 2016-17, 2017-18 & 2018-19 respectively). Trust has not provided for the net outstanding demands of Rs. 7.05 crores as mentioned above, as the Trust has been advised that they are covered by the definition of “Charitable Purpose” u/s 2(15) and hence, eligible for the benefit u/s. 11 of the Act. In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favor of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019 which has been upheld by ITAT vide order dated 11.01.2021. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust. Pursuant to above orders, NEIA Trust has received refund of Income Tax paid of Rs.436.82 crore which includes interest payment of Rs.99.29 crore on principal in respect of AY 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 & 2015-16. The status of year-wise Income Tax assessments since AY 2010-11 is as under:

AY	Status
2010-11	ITAT has pronounced order in favor of the NEIA Trust vide order dated 18.01.2019 and 11.09.2019. Pursuant to the said orders refund of Rs.139.90 crore was received on 11.06.2020.
2011-12	ITAT has pronounced order in favor of the NEIA Trust vide order dated 24.12.2019. Pursuant to the said order refunds of Rs.128.56 crore & Rs.43.30 crore were received on 11.06.2020.
2012-13	

[Handwritten signature]



2013-14	Appeal filed before Ld. CIT (Appeals) on 14.04.2016 against Order of assessment dated 28.03.2016. The order regarding date of hearing is not yet issued by Ld. CIT (Appeals).
2014-15	CIT (Appeals) has pronounced order in favor of the NEIA Trust vide order dated 01.03.2019 which was upheld by the ITAT vide order dated 11.01.2021. Pursuant to the order refunds amounting Rs.68.13 crore & Rs.56.92 crore were received on 11.06.2020.
2015-16	
2016-17	Submissions have been made to Ld. CIT (Appeals) - 1 vide letter dated 29.10.2020. Order is awaited as of date.
2017-18	Appeal filed before Ld. CIT (Appeals) on 23.12.2019 against Order of assessment dated 30.11.2019. The order regarding date of hearing is not yet issued by Ld. CIT (Appeals).
2018-19	Assessing Officer (AO) has accepted our submission and an order of refund of Rs.120.56 crore has been issued during FY 2021-22 vide order dated 19.04.2021.
2019-20	Under assessment.
2020-21	

5. In terms of provision of Section 11 of the Income Tax Act, 1961, the accumulation of Rs.1,19,19,72,982/- (set apart in Financial Year 2014-15 for utilization within next 5 Years and taxable as deemed income in sixth year, if remain unutilized) is not considered as deemed income during Financial Year 2020-21, Keeping in view of the fact that total covers issued by the Trust (being the object of the Trust) was of Rs. 9,227.83 Crores as of 31-03-2016, Rs. 17,395.86 Crores as of 31-03-2017, Rs. 24,028.94 Crores as of 31-03-2018, Rs. 27,598.34 Crores as of 31-03-2019, Rs. 29,555.28 Crores as of 31-03-2020 and Rs. 28,090.68 Crores as of 31-03-2021 in the opinion of the Trustees, the income accumulated stands utilized and provision of Section 11(3) of the Act is not attracted.
6. Auditor's remuneration includes Audit Fees Rs 55,000 and tax audit fees Rs 15,000 (excluding GST).
7. During the current year, interest income of Rs. 235.76 Crore is booked on the accrual basis in Income and Expenditure Account, though as per 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis a Correction Enabling System) interest income of Rs. 234.05


g




Crore is reflected. This is due to the fact that each bank adopts different methodology for calculating and reporting the interest amount for deduction of Tax at source (TDS).

8. The financial statements from FY 2015-16 to FY 2019-20 have been duly filed with the office of charity commissioner, Bombay Trust.
9. The management has asked for confirmation from its suppliers regarding their registration with competent authorities under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED). However, no party has confirmed its registration under the act. Accordingly, no further information is submitted in this regard. The auditors have relied on the said submission of the management.
10. The Contingent Liability as at March 31, 2021 amounts to Rs. 28,567.36 Crore which includes Guarantees given by the Trust to ECGC Limited for risk value cover of Rs. 8,649.50 Crore, Guarantees given to EXIM Bank of India for risk value cover of Rs. 19,441.18 Crore and aggregate Income Tax liability of Rs.186.39 Crore (Rs.48.54 crore, 72.39 crore & Rs.65.46 crore in respect of AY 2013-14, 2016-17 & 2017-18 respectively) in respect of the years where appeals are pending. Contingent Liability of Rs. 28,567.36 Crore also includes an amount of Rs.290.29 Crore against the cover no. 1421/12 & 1422/12. Cover 1421/12 & 1422/12 were issued by ECGC with 75% risk sharing with NEIA. The claims under 1421/12 & 1422/12 were rejected and subsequently covers were closed by ECGC. At present, the issue pertaining to claims under covers 1421/12 & 1422/12 is pending at Court.

For NEIA TRUST


(Sunil Joshi)
Trustee


(M. Senthilnathan)
Trustee


(Harsha Bangari)
Trustee

Date: 29/09/2021

Place: MUMBAI



फॉर्म सं . 10B
(नियम 17 बी देखें)

चैरिटेबल अथवा धार्मिक ट्रस्ट अथवा संस्थाओं के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए (बी) के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट,

1. हमने 31 मार्च, 2021 को एनईआईए ट्रस्ट की तुलन पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते की जांच की है, जो उक्त ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा बनाए गए खाते बहियों के अनुरूप हैं।

हमने वे सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, हमारे द्वारा जाँचे गए बहियों से साबित होता है कि ऊपर उल्लिखित ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय में लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है एवं लेखा परीक्षा के उद्देश्य से उचित एवं पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त की गयी हैं।

2. हमारी राय में एवं हमारे सर्वोत्तम जानकारी में हमें प्रदान की गयी जानकारी के अनुसार उक्त खातों में निम्न का उचित एवं स्पष्ट उल्लेख किया गया है :-

(i) तुलन पत्र के अनुसार उक्त ट्रस्ट के संव्ययहार दिनांक 31.03.2021 तक उल्लिखित हैं;

(ii) आय एवं व्यय के विवरणों के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त लेखा वर्ष के लिए अधिशेष अथवा घाटा विवरण उल्लिखित है ;

3. निर्धारित विवरण इसके साथ संलग्न है

4. ट्रस्ट के मूल्यांकन अधिकारी (ए ओ) एवं ट्रस्ट के बीच निम्न के कारण मतभेद हैं :-

(क) क्या ट्रस्ट के उद्देश्य , आय कर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 2(15) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार "चैरिटेबल उद्देश्य" से मेल खाते हैं;

(ख) क्या " कुल आय " की गणना अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के आधार पर की गयी है;

4.1 ए ओ की राय में :

(क) अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान के अनुसार ट्रस्ट के उद्देश्य पर " चैरिटेबल उद्देश्य " लागू नहीं होता;

(ख) अतः ट्रस्ट की आय के निर्धारण के समय अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं।

(ग) आगे , भारत के केंद्र सरकार से प्राप्त एवं ट्रस्ट के खाते में जामा राशि को ट्रस्ट की आय के रूप में गणना की गयी है।



- 4.2 उक्त राय के अनुसार, आय का आकलन 31 मार्च, 2010, 31 मार्च, 2011, 31 मार्च 2012, 31 मार्च, 2013, 31 मार्च, 2014, 31 मार्च, 2015, 31 मार्च, 2016 एवं 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए किया गया है। ट्रस्ट द्वारा अपीलीय अधिकारियों के समक्ष ए ओ की राय का विरोध किया गया। मूल्यांकन वर्ष 2010-11 एवं मूल्यांकन वर्ष 2011 -12 एवं 2012-13 के लिए आईटीएटी द्वारा क्रमशः 18.01.2019 एवं 24.12.2019 को एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश जारी किए गए। इसी प्रकार सीआईटी (ए) द्वारा भी मूल्यांकन वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए दिनांक 01.03.2019 के जरिये एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश जारी किए एवं जिन्हें आईटीएटी द्वारा दिनांक 11.01.2021 के आदेश के जरिये माना गया। आईटीएटी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया आया की ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट ही है। उक्त आदेशों के अनुकरण में, एनईआईए ट्रस्ट को मूल्यांकन वर्षों 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 व 2015-16 के लिए 99.29 करोड़ रु के ब्याज अदायगी सहित 436.82 करोड़ रु की आयकर वापसी प्राप्त हुई। 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए ए ओ द्वारा दिनांक 19.04.2021 के आदेश के जरिये प्रस्तुत प्रस्तुति को स्वीकार किया गया। 31 मार्च 2019 एवं 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।
- 4.3 ट्रस्ट के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि ट्रस्ट का उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) में परिभाषित अनुसार “ चैरिटेबल उद्देश्य “ है एवं तदनुसार अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को इसके आय की गणना के समय लागू कर इसकी आय की गणना की गयी है , हमें ट्रस्ट के अनुरोध पर निर्धारित फॉर्म सं 10बी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कृते एल एन मारु एंड कं .
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण सं 106069W

इस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारु
भागीदार
सदस्यता सं . 033246

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29/09/2021

यूडीआईएन : 21033246AAAABD54835483





L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

FORM NO. 10B
(See Rule 17B)

**Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case
of charitable or religious trust or institutions**

1. We have examined the Balance Sheet of NEIA Trust as at 31st March, 2021 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said Trust or Institution.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the Head Office of the above-named Trust visited by us so far as appears from our examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received.

2. In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us, the said accounts give a true and fair view –
 - (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named Trust as at 31-03-2021, and
 - (ii) In the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus or deficit of its accounting year ended 31st March, 2021.
3. The prescribed particulars are annexed hereto.
4. There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the Trust and the Trust as to following:
 - (a) Whether the objects of the Trust are “Charitable Purpose” keeping in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).
 - (b) Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in determining “Total Income”.

4.1 In the opinion of the AO:

- (a) the objects of the Trust are not “Charitable Purpose” keeping in view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.



- (b) Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in determining income of the Trust.
- (c) Further, in that event the amount received from Central Government of India accounted to the credit of Trust Fund is to be assessed as Income.

4.2 In terms of the said opinion, the assessment of income is made for previous year(s) ended up to 31st March, 2010, 31st March, 2011, 31st March 2012, 31st March, 2013, 31st March, 2014, 31st March, 2015, 31st March, 2016 and 31st March, 2017. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities. In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favor of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019 which has been upheld by ITAT vide order dated 11.01.2021. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust. Pursuant to above orders, NEIA Trust has received refund of Income Tax paid of Rs.436.82 crore which includes interest payment of Rs.99.29 crore on principal in respect of AY 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 & 2015-16. For previous year ended on 31st March, 2018, AO has accepted Trust's submission vide order dated 19.04.2021. For the previous year(s) ended on 31st March, 2019 and 31st March, 2020, assessment is under process.

4.3 Keeping in view the contention of the Trust that its objects are of "Charitable Purpose" as defined in Section 2(15) of the Act and accordingly the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in assessment of its income, we have issued Report in prescribed Form No.10B, at the request of the Trust.

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No.106069W



[Handwritten Signature]
CA L N Maru
Partner
Membership No. 033246

Place: Mumbai

Date:29/09/2021

UDIN: 21033246AAAABD5483



अनुबंध

विवरण

I. चैरिटेबल अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए आय की गणना		
1	वर्ष के दौरान भारत में चैरिटेबल अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लागू पिछले वर्ष की आय की राशि	: अनुलग्नक "क" देखें
2	क्या ट्रस्ट/संस्था द्वारा धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान भारत में चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए लागू की गई आय की राशि का विवरण।	: नहीं
3	चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए संचित अथवा अलग / अंतिम रूप से अलग की गई आय की राशि, जो कि ट्रस्ट के अधीन पूर्णतः / आंशिक रूप से केवल इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए धारित संपत्ति से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।	: अनुलग्नक "ख" देखें
4	धारा 11(1)(सी) के अधीन छूट के लिए पात्र आय की राशि (विवरण दें)	: कुछ नहीं
5	उक्त मद सं 3 में उल्लिखित , धारा 11(2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए संचित अथवा अलग से रखी गयी राशि के अलावा अन्य आय की राशि,	: अनुलग्नक "ग" देखें शून्य नोट : अनुबंध ख का नोट सं 3 देखें
6	क्या उक्त उल्लिखित मद सं 5 में उल्लिखित आय का निवेश धारा 11(2) (बी) में उल्लिखित पद्धति के अनुसार किया गया? यदि हाँ तो उसके विवरण;	: 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों का संदर्भ लें। अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा के रूप में राशि का निवेश किया गया।
7	क्या आय का कोई हिस्सा जिसके संबंध में किसी पूर्व के वर्षों में धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया था, जिसे धारा 11(1बी) के अधीन पिछले वर्ष की आय माना जा सकता है? यदि हां,	: शून्य



	तो उसका ब्यौरा दें।		
8	क्या, पूर्व के वर्षों के दौरान, किसी वर्ष धारा 11(2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आय के किसी हिस्से का संचयन किया गया था अथवा अलग रखा गया-		
	(क) चैरिटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के अलावा किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए आय की गणना की गयी है अथवा संचय किया जाना बंद कर दिया गया है अथवा		
	(ख) किसी राशि का धारा 11(2)(बी)(i) में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति में निवेश किया जाना बंद कर दिया गया है अथवा निवेशित है अथवा धारा 11(2)(बी)(ii) अथवा धारा 11(2)(बी) (iii), में संदर्भित किसी भी खाते में जमा है। अथवा		
	(ग) क्या वर्ष की समाप्ति के तत्काल पश्चात उसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है जिनके लिए उसका संचयन किया किया गया था अथवा अलग रखा गया था,? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें।		अनुलग्नक "घ" देखें
II. धारा 13(3) में उल्लिखित व्यक्तियों की सुविधा हेतु आय अथवा संपत्ति की गणना अथवा उपयोग			
1	क्या पिछले वर्ष , धारा 13(3) (इसके बाद इस अनुबंध में ऐसे व्यक्ति के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित अनुसार न्यास/संस्था की आय अथवा संपत्ति के किसी भाग को किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में दिया गया था, अथवा दिया जाना जारी है? यदि हां, तो राशि, प्रभारित ब्याज दर एवं प्रतिभूति की प्रकृति, यदि कोई हो, का विवरण दें।	:	नहीं
2	क्या पिछले वर्ष के दौरान न्यास/संस्था की कोई भूमि, भवन	:	नहीं



	अथवा अन्य संपत्ति ऐसे किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई अथवा उपलब्ध कराई जाती रही? यदि हां, तो संपत्ति का ब्योरा दें एवं किराए अथवा मुआवजे की राशि, यदि कोई हो, का विवरण दें।		
3	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को वेतन, भत्ते अथवा अन्यथा किसी अन्य रूप में कोई भुगतान किया गया? यदि हां, तो विवरण दें।	:	नहीं
4	क्या पिछले वर्ष के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति को ट्रस्ट/संस्था की सेवाएं उपलब्ध कराई गई? यदि हां, तो पारिश्रमिक अथवा प्राप्त मुआवजे, यदि कोई हो, के साथ उसका विवरण दें।	:	नहीं
5	क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट/संस्थान द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से कोई शेयर, प्रतिभूति अथवा अन्य संपत्ति खरीदी गई? यदि हां, तो भुगतान किए गए प्रतिफल के साथ उसका विवरण दें।	:	नहीं
6	क्या पिछले वर्ष के दौरान ट्रस्ट / संस्थान द्वारा या उसकी ओर से कोई शेयर, प्रतिभूति अथवा अन्य संपत्ति ऐसे किसी व्यक्ति को बेची गई? यदि हां, तो प्राप्त प्रतिफल के साथ उसका विवरण दें	:	नहीं
7	क्या न्यास/संस्था की कोई आय अथवा संपत्ति पिछले वर्ष के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में व्यपवर्तित की गई? यदि हां, तो आय की राशि या इस प्रकार व्यपवर्तित संपत्ति के मूल्य के साथ उसका विवरण दें।	:	नहीं
8	क्या पिछले वर्ष के दौरान न्यास/संस्था की आय अथवा संपत्ति का ऐसे किसी व्यक्ति के लाभ के लिए किसी अन्य	:	नहीं



	प्रकार से उपयोग किया गया अथवा लागू किया गया? यदि हां, तो विवरण दें।				
III. पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान किसी भी समय धारित निवेश जिसमें धारा 13(3) में उल्लिखित व्यक्तियों का पर्याप्त हित निहित है					
क्र सं	समाबंधित व्यक्ति का नाम एवं पता	जहां संबन्धित व्यक्ति कोई कंपनी हो तो धारित शेयरों की संख्या एवं श्रेणी	निवेश का अंकित मूल्य	निवेश से आय	क्या कॉलम सं 4 में उल्लिखित राशि पिछले वर्ष के दौरान संबन्धित व्यक्ति की पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक है - हाँ / न में उत्तर दें
1	2	3	4	5	6
- - - लागू नहीं - - -					

कृते एल एन मारु एन कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं . No106069W

इस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारु
भागीदार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29/09/2021



ANNEXURE

Statement of particulars

I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES		
1	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during the year	: Refer Annexure "A"
2	Whether the Trust / Institution has exercised the option under clause (2) of the Explanation to Section 11(1)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year.	: No
3	Amount of income accumulated or set apart / finally set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 25 per cent of the income derived from property held under Trust wholly / in part only for such purposes	: Refer Annexure "B"
4	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	: NIL
5	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2)	: Refer Annexure "C" Nil Note: Refer Note No.3 of Annexure B.
6	Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b)? If so, the details thereof	: Refer audited accounts for the year ended 31 st March, 2021. Amount is invested in Fixed Deposit with Scheduled Banks



7	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) Of Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B)? If so, the details thereof.	: NIL
8	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
	<p>(a) Has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or</p> <p>(b) Has ceased or remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or</p> <p>(c) Has not been utilized for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof.</p>	Refer Annexure "D"



II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)		
1	Whether any part of the income or property of the Trust / Institution was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any.	: No
2	Whether any land, building or other property of the Trust / Institution was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any.	: No
3	Whether any payment was made to any such person during to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details.	: No
4	Whether the services of the Trust / Institution were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any.	: No
5	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the Trust / Institution during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid.	: No



6	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the Trust / Institution during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received.	:	No
7	Whether any income or property of the Trust / Institution was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted.	:	No
8	Whether the income or property of the Trust / Institution was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details.	:	No

III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

Sr. No.	Name and address of the concern	Where the concern is a company, number and class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in Col.4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year - say Yes / No.
1	2	3	4	5	6
- - - NOT APPLICABLE - - -					

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants
Firm Regn. No 106069W



CA L N Maru
Partner

Place: Mumbai

Date: 29.03.2024



अनुबंध क				
एन ई आई ए न्यास (ट्रस्ट)				
31 मार्च 2021 को समाप्त लेखा वर्ष				
मल्यांकन वर्ष 2021-2022				
1	वर्ष के दौरान दान अथवा धार्मिक उद्देश्य से लागू पिछले वर्ष की आय :-			
	विवरण	राशि रु में	राशि रु में	राशि रु में
	धारा 10, 11 & 12 के संदर्भ में औसत आय			4,53,12,20,255
	लागू औसत राशि			
	(क) निम्न क का संदर्भ लें		4,58,14,84,238	
	(ख) वर्ष के दौरान किया गया व्यय (निम्न का संदर्भ लें)		7,47,72,83,791	
	वर्ष के दौरान लागू किया गया		12,05,87,68,029	
			चालू वर्ष की आय तक प्रतिबंधित	4,53,12,20,255
2	वर्ष के दौरान लागू आय की मात्रा निर्धारित करने हेतु 31 मार्च, 2020 तक धारित इस प्रकार के शेषों की तुलना में 31 मार्च, 2021 तक के निम्नलिखित के कुल शेष की गणनीत :-			
	विवरण		राशि रु में	राशि रु में
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			
	बैंकों के पास भिजादी जमा		46,24,50,00,000	
	आय कर भुगतान		6,69,60,16,831	
	पूर्व अदा किए गए व्यय		18,48,39,247	
	कॉर्पस निधि का शेष		(30,91,00,00,000)	22,21,58,56,078
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष			
	बैंकों के पास भिजादी जमा		39,94,56,38,390	
	आय कर भुगतान		8,41,66,37,732	
	पूर्व अदा किए गए व्यय		18,20,95,718	
	कॉर्पस निधि का शेष		(30,91,00,00,000)	17,63,43,71,840
क	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लागू आय			4,58,14,84,238
2.1	यह सूचित किया जाता है कि कुल रु 4,58,14,84,238/- की वृद्धि को कर निर्धारिता द्वारा आय के रूप में माना गया है।			
2.2	कानूनन सुस्थिति प्रस्तावना निम्नानुसार है:			
	(क) आवश्यक नहीं है कि " लागू " का अर्थ " व्यय " नहीं है (
	(ख) " लागू " शब्द को , निर्धारित प्रावधान के उद्देश्य के आधार पर व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है।			
3	(ख) वर्ष के दौरान किया गया व्यय		7,56,74,36,681	
	घटाएँ :- आरक्षित अथवा विशिष्ट निधियों में अंतरित राशि		-	
	घटाएँ : सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि में अंशदान		(9,01,52,890)	7,47,72,83,791
ख	31.03.2021 को सम्पन्न वर्ष के दौरान किया गया व्यय			7,47,72,83,791
4	चालू वर्ष के आय के निर्धारण के रूप में कर निर्धारिता के अनुसार विशिष्ट निधियों में शून्य राशि अंतरित की गयी है।			

कृते एन ई आई ए चैरिटेबल ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

(सुनील जोशो)
न्यासी

हस्ताक्षरित

(एम सेंटिलनाथन)
न्यासी

हस्ताक्षरित

(हर्षा बंगारी)
न्यासी



ANNEXURE "A"

NEIA TRUST

ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021


ASSESSMENT YEAR : 2021-22

1	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during the year :-			
	Particulars	Amount in Rs	Amount in Rs	Amount in Rs
	Aggregate income referred to in sections 10, 11 & 12			4,53,12,20,255
	Aggregate of Amount Applied:			
	(a) Refer A below		4,58,14,84,238	
	(b) Expenditure incurred during the year (Refer below)		7,47,72,83,791	
	Application During the year		12,05,87,68,029	
	Restricted too to the income of the current year.....			4,53,12,20,255

2	In quantifying the income applied during the year, increase in aggregate balances of the following as of 31st March, 2021 as compared to such balances held as on 31st March, 2020 is considered :-			
	Particulars		Amount in Rs	Amount in Rs
	For the year ended 31.03.2021			
	Fixed Deposits with Banks		46,24,50,00,000	
	Income Tax Payments		6,69,60,16,831	
	Prepaid expenses		18,48,39,247	
	Balance of Corpus Fund		(30,91,00,00,000)	22,21,58,56,078
	For the year ended 31.03.2020			
	Fixed Deposits with Banks		39,94,56,38,390	
	Income Tax Payments		8,41,66,37,732	
	Prepaid expenses		18,20,95,718	
	Balance of Corpus Fund		(30,91,00,00,000)	17,63,43,71,840
	A Application of Income for the year ended 31.03.2021			4,58,14,84,238
2.1	It is submitted that such increase aggregating to Rs. 4,58,14,84,238/- is considered as application of income by the assessee.			
2.2	Following are the well settled proposition in law:			
	(a) The word "applied" did not necessarily mean "spent".			
	(b) The word "application" has to be given wider interpretation, keeping in view the purpose for which the provision has been introduced.			
3	(b) Expenditure incurred during the year		7,56,74,36,681	
	Less:- Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds		-	
	Less:- Contribution to Public Trust Admin. Fund		(9,01,52,890)	7,47,72,83,791
	B Expenditure incurred during the year for the year ended 31.03.2021			7,47,72,83,791
4	As per the assessee the amount of Rs. Nil is transferred to Specific Funds towards application of current years income.			

FOR NEIA CHARITABLE TRUST


(Sunil Joshi)
Trustee

(M. Senthilnathan)
Trustee

(Harsha Bangari)
Trustee

अनुबंध ख
एन ई आई ए न्यास (ट्रस्ट)
31 मार्च 2021 को समाप्त लेखा वर्ष
मूल्यांकन वर्ष 2021-2022
कुल आय की गणना का विवरण

विवरण	राशि रु में	टिप्पणी संदर्भ सं	राशि रु में	राशि रु में
आय एवं व्यय के खाते के अनुसार सकल आय				4,53,12,20,255
घटाएँ : ट्रस्ट के उद्देश्यों पर किया गया व्यय				
वर्ष के दौरान किया गया व्यय			7,56,74,36,681	
आरक्षित या विशिष्ट निधि में अंतरित राशि		2	-	
घटाएँ : सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासनिक निधि में अंशदान		3	(9,01,52,890)	(7,47,72,83,791)
				(2,94,60,63,536)
घटाएँ : धारा 11(1)(क) के अधीन जमा करने योग्य				Nil
कुल आय				(2,94,60,63,536)
देय कर की गणना				Amount
आय कर				Nil
घटाएँ : स्रोत पर कर कटौती			17,85,19,175	
घटाएँ : अग्रिम कर			1,51,00,00,000	1,68,85,19,175
देय अर्जन				1,68,85,19,175

नोट

- संदर्भ : आय कर अधिनियम 1961 (अधिनियम) की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार लागू
- कर निर्धारिती का निपटान भारत सरकार द्वारा किया जाता है
- अधिनियम की धारा 2(15) के लागू प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारिती के उद्देश्य धर्माथ उद्देश्य हैं अथवा नहीं, इसविषय में मूल्यांकन अधिकारी एवं निर्धारिती के मध्य मतभेद हैं
- उक्त उप-अनुभाग के प्रावधान के लागू के कारण मूल्यांकन अधिकारी की राय में, निर्धारिती के उद्देश्य धर्माथ उद्देश्य नहीं हैं, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित राय को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती की वस्तुएं सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य से उन्नति की श्रेणी में आ रही हैं।
- अतः, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पिछले वर्षों के लिए निर्धारिती की आय का आकलन करने में अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है।
- निर्धारिती द्वारा अपीलयोग्य अधिकारियों के समक्ष मूल्यांकन अधिकारी की उक्त कार्यवाई का विरोध किया गया है।
- मूल्यांकन वर्ष 2010-11 एवं मूल्यांकन वर्ष 2011-12 और 2012-13 के संबंध में, आई टी ए टी द्वारा क्रमशः 18.01.2019 एवं 24.12.2019 को एन ई आई ए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार, सीआईटी (ए) द्वारा भी दिनांक 01.03.2019 के आदेश के जरिये मूल्यांकन वर्ष 2014-15 और 2015-16 के संबंध में एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में अपना आदेश सुनाया है, जिसे आईटीएटी द्वारा दिनांक 11.01.2021 के आदेश के जरिये सही ठहराया गया है। आई टी ए टी द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट है। 2
- यहां ऊपर उल्लिखित कुल आय निर्धारिती के सदस्य विद्वांस पर आधारित है कि उसके उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) के अधीन परिभाषित धर्माथ उद्देश्य हैं एवं अतः वर्ष के लिए आय का आकलन करने के लिए अधिनियम की धारा 11 को लागू किया गया है।
- निर्धारिती के अनुसार चालू वर्ष की आय को लागू करने के लिए रु शून्य को विशिष्ट निधि में स्थानांतरित किया गया है।
- संदर्भ : सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) प्रशासनिक निधि को रु .9,01,52,890/- का अंशदान
बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 की धारा 58 के प्रावधान के अधीन ट्रस्ट द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची IX के अंतर्गत दर्शाई गई आय के 2% की हिस्से को सार्वजनिक न्यास प्रशासनिक निधि में योगदान किया जाना अनिवार्य है। एक अन्य ट्रस्ट ने उक्त प्रावधान को चुनौती दी है एवं सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के पक्ष में इस तरह के योगदान के भुगतान के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया है। अंतिम निर्णय लंबित है। स्टे दिए जाने के कारण संबंधित प्राधिकारी द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसलिए, यह योगदान लंबित रहा है। वर्ष के लिए कुल आय का निर्धारण करने में, उक्त योगदान को भुगतान की कमी के कारण महत्वपूर्ण कारक के रूप में कटौती योग्य नहीं माना गया है। इसमें निर्धारिती के तर्क का पूर्वाग्रह की इस प्रकार के प्रावधान को सांविधिक माना जाये एवं इसे ट्रस्ट के उद्देश्यों पर किए जाने वाले व्यय में शामिल किया जाये एवं उसे वर्ष के दौरान हुई आय से उसकी कटौती की जाये।
- संदर्भ : सकल प्राप्तियों पर धारा 11(1)(ए) के अधीन पात्रता का आधार
निम्नलिखित न्यायिक घोषणाओं पर विश्वास किया गया है:
(क) आयकर आयुक्त बनाम सामुदायिक संगठन के लिए कार्यक्रम [248 आईटीआर 1] (एससी) 28.11.2000
(ख) आयकर आयुक्त बनाम सामुदायिक संगठन के लिए कार्यक्रम [228 आईटीआर 620] (केरल एचसी) 25.10.1996

कृते एन ई आई ए चैरिटेबल ट्रस्ट

हस्ताक्षरित
(सुनील जोशी)
न्यासी

हस्ताक्षरित
(एम संधिलनाथन)
न्यासी

हस्ताक्षरित
(हर्षा बंगारी)
न्यासी



ANNEXURE - "B"
NEIA TRUST
ACCOUNTING YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021
ASSESSMENT YEAR : 2021-22


STATEMENT OF COMPUTATION OF TOTAL INCOME

Particulars	Amount in Rs	Note Ref No	Amount in Rs	
Gross Income as per Income & Expenditure Account				4,53,12,20,255
Less : Expenditure Incurred on the objects of the Trust				
Incurred during the year			7,56,74,36,681	
Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds		2	-	
Less : Contribution to Public Trust Admin. Fund		3	(9,01,52,890)	(7,47,72,83,791)
				(2,94,60,63,536)
Less : Allowed to be accumulated under section 11(1)(a) of :				Nil
Total Income				(2,94,60,63,536)
COMPUTATION OF TAX PAYABLE				Amount
Income Tax				Nil
Less : Tax Deducted at Source			17,85,19,175	
Less : Advance Tax			1,51,00,00,000	1,68,85,19,175
Refund Due				1,68,85,19,175

Notes:

- 1 **Re: Application of provisions of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act):**
 - 1.1 The assessee is settled by the Government of India.
 - 1.2 There is a difference of opinion by and between the AO and the assessee as to whether the objects of the assessee are charitable purposes within the meaning assigned to it in terms of the applicable provisions of Section 2(15) of the Act.
 - 1.3 In the opinion of the AO, the objects of the assessee are not charitable purposes as the proviso to the said sub-section is applicable, Keeping in view the opinion formed by the AO that the objects of the assessee are falling in the category of advancement of any other object of general public utility.
 - 1.4 Hence, the AO has not applied the provisions of Section 11 of the Act in assessing the income of the assessee for earlier years.
 - 1.5 The assessee is contesting the said action of the AO before the appellate authorities.
 - 1.6 In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favour of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019 which has been upheld by ITAT vide order dated 11.01.2021. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust.
 - 1.7 The total income quantified hereinabove is based on the bonafide belief of the assessee that its objects are charitable purposes as defined under Section 2(15) of the Act and hence, Section 11 of the Act has to be applied in assessing the income for the year.
- 2 As per the assessee the amount of Rs. Nil is transferred to Specific Funds towards application of current years income.
- 3 **Re: Contribution to Public Trust Admin. Fund of Rs.9,01,52,890/-**
Under provision of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trust is required to make contribution to the Public Trust Administration Fund @ 2% of the income shown under schedule IXC of the said Act. Another Trust has challenged the said provision and Supreme Court has issued a stay order for payment of such contribution in favour of the trust. Final judgment is pending. Due to stay granted, the concerned authority is not accepting payment. Hence, said contribution has remained unpaid. In determining total income for the year, the said contribution is considered as not deductible for want of payment as a matter of abundant cause. This is Without Prejudice to the contention of the assessee, that such provision being statutory provision has to be considered as expense incurred on objects of trust and Hence, be deducted in determining total income for the year.
- 4 **Re: Basis of quantification u/s 11(1)(a) on Gross Receipts**
Reliance is placed on following judicial pronouncements:
 - (a) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [248 ITR 1] (SC) 28.11.2000
 - (b) Commissioner of Income Tax v Programme for Community Organisation [228 ITR 620] (Kerala HC) 25.10.1996

FOR NEIA CHARITABLE TRUST


(Sunil Joshi)
Trustee


(M. Senthilnathan)
Trustee


(Harsha Bangari)
Trustee



अनुबंध "ग"
फॉर्म सं .10
[नियम 17 देखें]

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी/निर्धारित प्राधिकारी को नोटिस

प्रति

सहायक आयकर निदेशक (छूट) II (2), मुंबई,

1. मैं, **सुनील जोशी, प्रबन्धक न्यासी**, **एनईआईए ट्रस्ट** की ओर से, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि दिनांक ----- को न्यासियों द्वारा संकल्प (प्रति संलग्न है) पारित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि, पिछले वर्ष के लिए ट्रस्ट की आय में से, मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए प्रासंगिक, ट्रस्ट की आय में से शून्य रु की राशि को पिछले वर्ष के दौरान संचित अथवा अलग रखी गयी को 31 मार्च 2026 की समाप्ती तक संचित किया जाना होगा ताकि ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यासियों द्वारा पर्याप्त निधि संचित की जा सके :-
(क) राष्ट्र के हित में मध्यम एवं दीर्घावधिक निर्यातकों की सुविधा हेतु एन ई आई ए योजना का कार्यान्वयन ;
(ख) मध्यम एवं दीर्घावधिक निर्यातकों की सुविधा हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं ट्रस्ट को कार्यान्वयन हेतु निर्देशित योजनाओं का कार्यान्वयन;
(ग) अल्पावधिक निर्यातकों की सुविधा हेतु समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एवं ट्रस्ट को कार्यान्वयन हेतु निर्देशित अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन
2. 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के अंत से आरंभ होने वाले आगामी छह महीने की समाप्ति से पहले, इस तरह से संचित अथवा अलग रखी गई राशि को धारा 11 के उप-खंड (5) में निर्दिष्ट किसी एक अथवा अधिक पद्धतियों अथवा तरीकों में निवेश अथवा जमा किया गया;
3. प्रत्येक संगत पिछले वर्ष की समाप्ती से छह महीनों की समाप्ती के पूर्व , ट्रस्ट के वार्षिक खातों की प्रतियों के साथ निवेश के विवरण (जमा सहित) एवं उपयोग, यदि कोई हो, इस प्रकार संचित अथवा अलग रखी गयी राशि के विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे।
4. यह अनुरोध किया जाता है कि हमारे द्वारा किए गए अनुपालनों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, उक्त अनुसार संचित आयों एवं अलग रखी गयी राशि के संबंध में ट्रस्ट को आय में छूट प्रदान करने के लिए मूल्यांकन के समय उस धारा की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
5. इस नोटिस को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय विवरण के भाग के रूप में नोट संख्या 1 एवं 4 के संयोजन में पढ़ा जाय , जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

दिनांक : 29/09/2021

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

सुनील जोशी

(प्रबन्धक न्यासी)

पता : ईसीजीसी लिमिटेड , एक्सप्रेस टॉवर्स , 10 वीं मंज़िल , नरीमन पॉइंट ,
मुंबई - 400 021.



ANNEXURE "C"

FORM NO.10

[See rule 17]

**Notice to the Assessing Officer/Prescribed Authority under section 11(2) of the
Income-tax Act 1961**

To
Assistant Director of Income Tax (Exemption) II (2), Mumbai.

1. I, **Sunil Joshi, Managing Trustee**, on behalf of **NEIA Trust** hereby bring to your notice that it has been decided by a resolution passed by the trustees, on (copy enclosed) that, out of the income of the trust for the previous year, relevant to the assessment year 2021-22, an amount of Rs. Nil of the income of the trust, available at the end of the previous year(s) should be accumulated or set apart till the previous year(s) ending 31st March, 2026 in order to enable the trustees, to accumulate sufficient funds for carrying out the following purposes of the trust: -
 - (a) To implement the NEIA Scheme for the benefit of Medium and Long Term Exporters in National Interest.
 - (b) To implement such other schemes for the benefit of Medium and Long Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
 - (c) To implement such other schemes for the benefit of Short Term Exporters as the Government of India may frame from time to time and direct the Trust to implement.
2. Before expiry of six months commencing from the end of previous year ended 31st March, 2021, the amount so accumulated or set apart has been invested or deposited in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11.
3. Copies of the annual accounts of the trust along with details of investment (including deposits) and utilization, if any, of the money so accumulated or set apart will be furnished to you before the expiry of six months commencing from the end of each relevant previous year.
4. It is requested that in view of our complying with the conditions laid down in section 11(2) of the income-tax Act, 1961, the benefit of that section may be given in the assessment of the trust exempting the income in respect of the trust in respect of the incomes accumulated or set apart as mentioned above.
5. This Notice is to be read in conjunction with Note Nos. 1 and 4 forming part of Statement of Income for the year ended 31st March, 2021, a copy whereof is annexed hereto.

Date: 29/09/2021



Sunil Joshi

Signature

Sunil Joshi
(Managing Trustee)

Address: C/o. ECGC Limited, Express Towers, 10th
floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.



अनुबंध - "D"

1. ट्रस्ट और ट्रस्ट के मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के बीच निम्नलिखित मुद्दों पर मतभेद है:
 - (क) क्या ट्रस्ट के उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(15) में उल्लिखित परिभाषा को ध्यान में रखते हुए "चैरिटेबल उद्देश्य" हैं।
 - (ख) क्या अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को "कुल आय" निर्धारित करने में लागू करना होगा।
2. मूल्यांकन अधिकारी की राय में:
 - (क) अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधान की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट के उद्देश्य " चैरिटेबल उद्देश्य" नहीं हैं।
 - (ख) अतः , अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान ट्रस्ट की आय के निर्धारण में लागू नहीं होते।
3. उक्त राय के अनुसार, 31 मार्च, 2010 से 31 मार्च 2017 तक समाप्त पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए आय का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन अधिकारी की राय का ट्रस्ट द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विरोध किया गया। मूल्यांकन 2010-11 एवं मूल्यांकन वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के संबंध में, आईटीएटी द्वारा क्रमशः 18.01.2019 एवं 24.12.2019 को एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश सुनाए गए। इसी प्रकार, सीआईटी (ए) द्वारा भी दिनांक 01.03.2019 के आदेश के जरिये मूल्यांकन 2014-15 एवं 2015-16 के संबंध में एनईआईए ट्रस्ट के पक्ष में आदेश सुनाया गया, जिसे आईटीएटी द्वारा दिनांक 11.01.2021 के आदेश द्वारा सही ठहराया गया है। आईटीएटी द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि ट्रस्ट का उद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट में निहित है। उक्त आदेशों के अनुकरण में , एनईआईए ट्रस्ट को 436.82 करोड़ रुपये के आयकर की वापसी प्राप्त हुई है, जिसमें मूल्यांकन वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 एवं 2015-16 के संबंध में मूलधन पर 99.29 करोड़ रुपये की ब्याज अदायगी भी शामिल है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से हमारी प्रस्तुति को स्वीकार किया गया। 31 मार्च, 2019 एवं 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए पिछले वर्ष (वर्षों) के लिए, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
4. निर्देशानुसार, ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित तथ्यों के होते हुए भी, आय के संचय के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया जा रहा है :-



- (क) ट्रस्ट निधि के राजस्व स्रोत को निम्न द्वारा दर्शाया गया है :-
- (i) ट्रस्ट के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जारी की गयी बीमा रक्षा पर प्रभारित गारंटी शुल्क;
 - (ii) ट्रस्ट निधि एवं राजस्व आय के अव्ययित शेष की अनुसूचित बैंक के पास निवेश की गयी सावधि जमा पर अर्जित ब्याज आय ।
- (ख) बैंकों के पास निवेश की गयी सावधि जमा के रूप में ट्रस्ट निधि / राजस्व आय की अव्ययित शेष।
5. ट्रस्ट की राय में, उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कुल आय के विवरण का भाग बनाने वाले अनुलग्नक - क में किए गए गणना अनुसार 31 मार्च, 2021 तक समाप्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वर्षों) की ट्रस्ट की अव्ययित आय को संगत पिछले वर्ष के दौरान लागू के रूप में माना जाना चाहिए।
6. ट्रस्ट द्वारा, इस तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि वित्तीय वर्ष की आय के की गणना के निर्धारण में, निम्नलिखित शेष राशि को भी शामिल किया जाना होगा, अधिनियम की धारा 11(2) के विकल्प का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जा रहा है:
- (क) बैंकों के पास निवेशित सावधि जमा
 - (ख) पूर्व प्रदत्त व्यय
 - (ग) प्रदत्त कर
7. आगे , ट्रस्ट की राय में यदि अंततः आय के निर्धारण के संबंध में ऊपर विवरित अनुसार ट्रस्ट के तर्क कि अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन आय के निर्धारण हेतु विकल्प का उपयोग किया गया है , को स्वीकार नहीं किया जाता तब प्रदत्त बीमा रक्षा के अनुकरण में ट्रस्ट पर बनने वाले संभावी दावों की राशि को दर्शाते हुए बीमा रक्षा के संबंध में बकाया जोखिम पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार के जोखिमों की राशि उस अधिशेषित आय की राशि से काफी अधिक है जिस पर दिनांक 31 मार्च 2007/ दिनांक 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष (वर्षों) के लिए अधिनियम की धारा 11(2) के अधीन विकल्प का उपयोग किया गया था।



ANNEXURE - "D"

1. There is a difference of opinion between the Assessing Officer (AO) of the Trust and the Trust as to following:
 - (a) Whether the objects of the Trust are "Charitable Purpose" keeping in view the definition thereof in Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).
 - (b) Whether the provisions of Section 11 of the Act have to be applied in determining "Total Income".
2. In the opinion of the AO:
 - (a) the objects of the Trust are not "Charitable Purpose" keeping in view the applicability of Proviso to Section 2(15) of the Act.
 - (b) Hence, provisions of Section 11 of the Act have not to be applied in determining income of the Trust.
3. In terms of the said opinion, the assessment of income is made for previous year(s) ended 31st March, 2010 to 31st March; 2017. The opinion of AO is contested by the Trust before appellate authorities. In respect of AY 2010-11 and AY 2011-12 & 2012-13, ITAT has pronounced the orders on 18.01.2019 and 24.12.2019 respectively in favour of the NEIA Trust. Similarly, CIT (A) has also pronounced its order in favor of the NEIA Trust in respect of AY 2014-15 & 2015-16 vide order dated 01.03.2019 which has been upheld by ITAT vide order dated 11.01.2021. ITAT in its order had also observed that the object of the Trust is implied to charitable Trust. Pursuant to above orders, NEIA Trust has received refund of Income Tax paid of Rs.436.82 crore which includes interest payment of Rs.99.29 crore on principal in respect of AY 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2014-15 & 2015-16. For previous year ended on 31st March, 2018, AO has accepted our submission vide order dated 19.04.2021. For previous year(s) ended on 31st March, 2019 and 31st March, 2020, assessment is under process.
4. As advised, the Trust is exercising the option U/s. 11(2) of the Act for accumulation of income, notwithstanding the following facts:
 - (a) The revenue stream of the Trust Fund is represented by –
 - (i) Guarantee fee charged on insurance coverage issued in furtherance of the objects of the Trust;
 - (ii) Interest income earned on Fixed Deposit maintained with Scheduled Bank representing unspent balances of the Trust Fund and revenue income.

J



- (b) The unspent balance lying to the Trust Fund / Revenue Income remains invested in Fixed Deposits with Banks.
5. In the opinion of the Trust, keeping in view the aforesaid facts, the unspent income of the Trust of each of the financial year(s) ended up to 31st March, 2021 has to be considered as applied during the relevant previous year as worked out in Annexure – A forming part of Statement of Total Income.
6. The Trust is exercising the option U/s.11(2) of the Act as an abundant caution which is without prejudice to its contention that in determining the application of income of the financial year, following balances have to be considered:
- (a) Fixed Deposit placed with Banks;
 - (b) Pre-paid expenses;
 - (c) Taxes paid.
7. Further, in the opinion of the Trust, even if the contention of the Trust as explained in relation to application of income is not accepted finally, then, for the purpose of determining whether the Trust has applied the income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act, the outstanding exposure in relation to the insurance coverage has to be considered representing the amount of claims which can devolve upon the Trust pursuant to the insurance coverage provided. The amount of such exposure far exceeds the surplus income in respect of which the option is exercised U/s.11(2) of the Act for the year(s) ended 31st March, 2007/ 31st March, 2021.

SJ



दिनांक : 29/09/2021

निदेशक

भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकर
आर टी आई बिल्डिंग , 6 वीं मंज़िल
एशियन हार्ट अस्पताल के पीछे
बी के सी बांद्रा पूर्व, मुंबई

प्रमाण पत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने , एन ई आई ए ट्रस्ट , C/O ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर, 10 वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021 के पंजीकृत पते वाले एन ई आई ए ट्रस्ट के मियादी जमा की रसीदों की भौतिक जांच कर ली है। दिनांक 31 मार्च 2021 तक कुल **4,624.55** करोड़ रु के मियादी जमा रसीद रहे। मियादी जमा राशियों का विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च 2021 तक प्रभावी जमा के विवरण					
क्र सं	जमा की तारीख	बैंक का नाम	उपकरण सं .	राशि (करोड़ रु में)	परिपक्वता की तारीख
1	04-05-2020	बैंक ऑफ इंडिया	2145110023249	111.00	04-05-2021
2	20-05-2020	बैंक ऑफ इंडिया	2145110023256	10.90	20-05-2021
3	21-05-2020	बैंक ऑफ इंडिया	2145110023257	151.60	21-05-2021
4	26-05-2020	बैंक ऑफ इंडिया	2145110023263	426.50	26-05-2021
5	26-05-2020	केनरा बैंक	0113401010209/1	42.00	26-05-2021
6	26-05-2020	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	530401042155703	77.00	26-05-2021
7	01-06-2020	केनरा बैंक	0113401010209/2	22.50	01-06-2021
8	06-06-2020	केनरा बैंक	0110401010209/3	341.00	06-06-2021
9	06-06-2020	इंडियन बैंक	6884571350	100.00	06-06-2021
10	12-06-2020	केनरा बैंक	0113401010209/4	147.00	12-06-2021
11	12-06-2020	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	530401042447105	500.00	12-06-2021
12	17-06-2020	एचडीएफसी लिमिटेड	BM/20647153	95.00	17-06-2021
13	18-06-2020	केनरा बैंक	0113401010209/5	173.00	18-06-2021
14	18-06-2020	इंडियन बैंक	6891176453	50.00	18-06-2021
15	18-06-2020	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	530401042317150	100.00	18-06-2021
16	20-06-2020	एचडीएफसी बैंक	50300437822432	70.00	20-06-2021
17	29-06-2020	एचडीएफसी बैंक	50300439714298	34.00	29-06-2021
18	29-06-2020	आई सी आई सी आई बैंक	413305224	268.00	29-06-2021
19	29-06-2020	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	530401042661907	23.00	29-06-2021



20	30-06-2020	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	530401042676239	71.70	01-07-2021
21	09-07-2020	एचडीएफसी लिमिटेड	MU/2082173	74.00	09-07-2021
22	16-07-2020	एचडीएफसी बैंक	50300445014157	8.00	16-07-2021
23	22-07-2020	एचडीएफसी बैंक	50300446418233	63.28	22-07-2021
24	22-07-2020	इंडियन बैंक	6902308586	38.68	22-07-2021
25	22-07-2020	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	530401042993893	219.34	22-07-2021
26	23-07-2020	एचडीएफसी लिमिटेड	TH/1955182	146.00	23-07-2021
27	23-07-2020	इंडियन बैंक	6902683228	50.00	23-07-2021
28	23-07-2020	Punjab National Bank	127400LR00000075	47.40	23-07-2021
29	07-08-2020	एचडीएफसी बैंक	50300452735400	324.72	07-08-2021
30	07-08-2020	इंडियन बैंक	6907739368	22.08	07-08-2021
31	14-08-2020	इंडियन बैंक	6910097812	10.00	14-08-2021
32	03-09-2020	आई सी आई सी आई बैंक	000413317057	9.50	03-09-2021
33	16-09-2020	आई सी आई सी आई बैंक	000413318861	200.00	16-09-2021
34	25-09-2020	आई सी आई सी आई बैंक	000413319772	11.15	25-09-2021
35	30-09-2020	एचडीएफसी लिमिटेड	MU/2123924	185.00	30-09-2021
36	30-09-2020	इंडियन बैंक	6930521783	12.95	30-09-2021
37	13-10-2020	इंडियन बैंक	6935168390	28.45	13-10-2021
38	02-11-2020	बैंक ऑफ बरोदा	4090300086935	110.60	02-11-2021
39	02-11-2020	इंडियन बैंक	6942668463	50.00	02-11-2021
40	17-11-2020	इंडियन बैंक	6948814839	50.00	17-11-2021
41	17-11-2020	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	530401044456853	76.00	17-11-2021
42	23-11-2020	आई सी आई सी आई बैंक	413328959	4.40	23-11-2021
43	15-12-2020	केनरा बैंक	00113401010209/6	5.00	15-12-2021
44	05-01-2021	केनरा बैंक	00113401010209/7	5.00	05-01-2022
45	11-01-2021	केनरा बैंक	00113401010209/8	5.10	11-01-2022
46	17-03-2021	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22123030000252	40.95	17-03-2022
47	25-03-2021	केनरा बैंक	0172401005499/1	12.75	25-03-2022
Total				4,624.55	

कृते एल एन मारु एंड कंपनी

सनदी लेखाकर

हस्ताक्षरित

सी ए एल एन मारु

भागीदार

फ़र्म पंजीकरण सं : 106069W

सदस्यता सं . 033246

UDIN: 21033246AAAABE6373





L N MARU & Co

Chartered Accountants

220, Wadala Udyog Bhavan, MMGS Marg, Dadar-Wadala, Mumbai - 400 031. Office : 022-2412 2382
Email : info@calnmaru.com | Website : www.calnmaru.com

Date: 29/09/2021

The Director,
Comptroller & Auditor General of India,
RTI Building, 6th Floor,
Behind Asian Heart Hospital,
BKC Bandra East, Mumbai

CERTIFICATE

We hereby certify that we have physically verified Fixed Deposits receipts of NEIA Trust, having its registered address at NEIA Trust C/O ECGC Limited, Express Tower, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai – 400021. The total Fixed Deposits receipts amounting to **Rs. 4,624.55 Crores** as on 31st March, 2021. Details of the Fixed Deposits are mentioned here under:

Details of Deposits in force as on 31st March, 2021					
Sr. No.	Date of Deposit	Name of the Bank	Instrument No.	Amount (Rs. in Crores)	Date of Maturity
1	04-05-2020	Bank of India	2145110023249	111.00	04-05-2021
2	20-05-2020	Bank of India	2145110023256	10.90	20-05-2021
3	21-05-2020	Bank of India	2145110023257	151.60	21-05-2021
4	26-05-2020	Bank of India	2145110023263	426.50	26-05-2021
5	26-05-2020	Canara Bank	0113401010209/1	42.00	26-05-2021
6	26-05-2020	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	530401042155703	77.00	26-05-2021
7	01-06-2020	Canara Bank	0113401010209/2	22.50	01-06-2021
8	06-06-2020	Canara Bank	0110401010209/3	341.00	06-06-2021
9	06-06-2020	Indian Bank	6884571350	100.00	06-06-2021
10	12-06-2020	Canara Bank	0113401010209/4	147.00	12-06-2021
11	12-06-2020	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	530401042447105	500.00	12-06-2021
12	17-06-2020	HDFC Limited	BM/20647153	95.00	17-06-2021
13	18-06-2020	Canara Bank	0113401010209/5	173.00	18-06-2021
14	18-06-2020	Indian Bank	6891176453	50.00	18-06-2021
15	18-06-2020	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	530401042317150	100.00	18-06-2021
16	20-06-2020	HDFC Bank	50300437822432	70.00	20-06-2021
17	29-06-2020	HDFC Bank	50300439714298	34.00	29-06-2021
18	29-06-2020	ICICI Bank Ltd	413305224	268.00	29-06-2021
19	29-06-2020	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	530401042661907	23.00	29-06-2021
20	30-06-2020	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	530401042676239	71.70	01-07-2021



Handwritten mark

21	09-07-2020	HDFC Limited	MU/2082173	74.00	09-07-2021
22	16-07-2020	HDFC Bank	50300445014157	8.00	16-07-2021
23	22-07-2020	HDFC Bank	50300446418233	63.28	22-07-2021
24	22-07-2020	Indian Bank	6902308586	38.68	22-07-2021
25	22-07-2020	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	530401042993893	219.34	22-07-2021
26	23-07-2020	HDFC Limited	TH/1955182	146.00	23-07-2021
27	23-07-2020	Indian Bank	6902683228	50.00	23-07-2021
28	23-07-2020	Punjab National Bank	127400LR00000075	47.40	23-07-2021
29	07-08-2020	HDFC Bank	50300452735400	324.72	07-08-2021
30	07-08-2020	Indian Bank	6907739368	22.08	07-08-2021
31	14-08-2020	Indian Bank	6910097812	10.00	14-08-2021
32	03-09-2020	ICICI Bank Ltd	000413317057	9.50	03-09-2021
33	16-09-2020	ICICI Bank Ltd	000413318861	200.00	16-09-2021
34	25-09-2020	ICICI Bank Ltd	000413319772	11.15	25-09-2021
35	30-09-2020	HDFC Limited	MU/2123924	185.00	30-09-2021
36	30-09-2020	Indian Bank	6930521783	12.95	30-09-2021
37	13-10-2020	Indian Bank	6935168390	28.45	13-10-2021
38	02-11-2020	Bank of Baroda	4090300086935	110.60	02-11-2021
39	02-11-2020	Indian Bank	6942668463	50.00	02-11-2021
40	17-11-2020	Indian Bank	6948814839	50.00	17-11-2021
41	17-11-2020	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	530401044456853	76.00	17-11-2021
42	23-11-2020	ICICI Bank Ltd	413328959	4.40	23-11-2021
43	15-12-2020	Canara Bank	00113401010209/6	5.00	15-12-2021
44	05-01-2021	Canara Bank	00113401010209/7	5.00	05-01-2022
45	11-01-2021	Canara Bank	00113401010209/8	5.10	11-01-2022
46	17-03-2021	Union Bank of India (e-Corporation Bank)	22123030000252	40.95	17-03-2022
47	25-03-2021	Canara Bank	0172401005499/1	12.75	25-03-2022
Total				4,624.55	

For L N Maru & Co.
Chartered Accountants

CA L N Maru

Partner

FRN: 106069W

Membership No. 033246

UDIN: 21033246AAAABE6373

